"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2025 — आषाढ़ 27, शक 1947

### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 27, 1947)

क्रमांक–10698/वि.स./विधान/2025. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) जो शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

**(दिनेश शर्मा)**
सचिव.

# छत्तीसगढ़ विधेयक

## (क्रमांक 17 सन् 2025)

### छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025

ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने हेतु एवं अपराधों के अपराधमुक्तकरण और तर्कसंगतिकरण के लिए कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा।

अधिनियमों में कतिपय संशोधन. 2. अनुसूची में उल्लेखित अधिनियम, अनुसूची में उल्लिखित विस्तार तक एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

जुर्मानों और शास्तियों का पुनरीक्षण. 3. अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माना एवं शास्तियों में, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, निर्धारित जुर्माने या शास्ति के न्यूनतम राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि स्वमेव हो जाएगी।

व्यावृत्तियाँ. 4. (1) इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों का प्रशासनिक कार्यक्षेत्र, पूर्ववत सम्बंधित विभागों के पास रहेगा। संबंधित विभाग, अपने प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर लागू नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे और इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्णायक अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों और वसूली तंत्र को

ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नियुक्त करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) इस अधिनियम की कोई बात इसके प्रवृत्त होने के पूर्व की, किसी विधिक कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी और न ही किसी अवैधानिक कार्यवाही को विधिमान्य करने वाली समझी जाएगी।

## अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

| | |
|---|---|
| 1. | **छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973** (क्र. 23 सन् 1973) में,<br><br>(1) धारा 69-ख की उप-धारा (2) में शब्द "साधारण कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो रूपये पचास हजार तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रूपये तक की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए।<br><br>(2) धारा 69-ख की उप-धारा (4) में शब्द "तीन माह की अवधि तक के कारावास या पांच हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों से "के स्थान पर शब्द" पच्चीस हजार रूपये तक की "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।<br><br>(3) धारा 69-ख की उप-धारा (5) में शब्द "जुर्माने" तथा "एक" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।<br><br>(4) धारा 69-ख की उप-धारा (6) में शब्द "जुर्माने" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।<br><br>(5) धारा 77 की उप-धारा (2) में शब्द "दोषसिद्धि पर सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500/- रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रूपये से अनधिक की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। |

2. **छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973** (क्र. 44 सन् 1973) में,

(1) धारा 16 की उप-धारा (4) में, शब्द "पांच सौ रूपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(2) धारा 16 की उप-धारा (4) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परंतु यह कि इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट सीमा, महिला स्व-सहायता समूह के लिए पांच सौ रूपये होगी।"

(3) धारा 31-क के स्थान पर, निम्नानुसार धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-

"**31-क. रजिस्ट्रार के रूप में शिक्षा अधिकारी.-** इस अध्याय में, रजिस्ट्रार से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय) अधिनियम 1978 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षा अधिकारी भी हो सकेगा।"

(4) धारा 38 की उप-धारा (1) में शब्द "पांच सौ" तथा "पचास" के स्थान पर शब्द "दो हजार" तथा "पांच सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(5) धारा 38 की उप-धारा (2) में शब्द "दो सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाए।

(6) धारा 38 की उप-धारा (2), निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परंतु यह कि इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट सीमा, महिला स्व-सहायता समूह के लिए दो हजार रूपये होगी।"

(7) धारा 39 में, शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "दो सौ" प्रतिस्थापित किया जाए।

(8) धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"**39-क. अपराध का शमन.-**

(1) इस अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4), धारा 38 और धारा 39 के उल्लंघन की स्थिति में, रजिस्ट्रार, चूककर्ता सोसायटी/पदाधिकारी/व्यक्ति द्वारा पांच हजार रुपए की राशि का भुगतान करने पर, उपर्युक्त धाराओं के अधीन उक्त उल्लंघन के शमन की अनुमति दी जा सकेगी ।

परंतु यह कि इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट सीमा, महिला स्व-सहायता समूह के लिए दो हजार रूपये होगी।

| | |
|---|---|
| | (2) उप-धारा (1) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट शमन राशि का भुगतान करने पर, चूककर्ता सोसायटी/पदाधिकारी/व्यक्ति को उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत उक्त उल्लंघन से मुक्त कर दिया जाएगा और वह अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।" |
| 3. | **छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960** (क्र. 27 सन् 1960) में,<br>(1) धारा 93 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-<br>**"93-क. अपराध का प्रशमन.-**<br>(1) धारा 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 और 93 अंतर्गत दण्डनीय कोई अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर, या तो अभियोजन संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् हो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत की राशि के लिए प्रशमन किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा विहित करे।<br>(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट प्रावधान-<br>(क) उसी प्रकार का अपराध, जिसका पूर्व में प्रशमन किया गया हो, के कारित करने की,<br>(ख) उसी प्रकार का अपराध, जिसके लिए व्यक्ति, पूर्व में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, के कारित करने की,<br>तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर दूसरी बार या तत्पश्चात् के लिए व्यक्ति द्वारा कारित अपराध पर लागू नहीं होगा।<br>(3) उप-धारा (1) में प्राधिकृत अधिकारी, राज्य शासन के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के प्रशमन करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।<br>(4) अपराध के प्रशमन के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप एवं रीति में किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।<br>(5) जहां किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व, प्रशमन हो गया हो, |

| | |
|---|---|
| | वहां उस अपराध के संबंध में, अपराधी, जिसके अपराध का इस प्रकार प्रशमन हो गया है, के विरूद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।<br><br>(6) जहां किसी अपराध का प्रशमन, अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा प्रशमन उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, लिखित में न्यायालय, जिसमें अभियोजन लंबित है, के संज्ञान में लाया जाएगा तथा अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना पर, व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया गया है, को निर्मुक्त किया जाएगा।<br><br>(7) कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश का पालन करने में विफल रहता है, वह, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, उक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि भुगतान करने हेतु दायी होगा।<br><br>(8) इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं उसके अनुसरण के सिवाय, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन नहीं किया जाएगा।" |
| 4. | **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम,1915** (क्र.02 सन् 1915) में,<br>(1) धारा 36-क में शब्द "वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "प्रथम अपराध के लिए कम से कम पांच हजार रुपए की शास्ति से दंडनीय होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(2) धारा 36-च की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जावे, अर्थात-<br>"(1) जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूजा स्थलों), बरा स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करते हुए या मत्त पाया जाता है तो उसे जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए दो हजार रूपये की शास्ति से तथा अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने के दशा में, पांच हजार रूपये की शास्ति से दण्डित होगा।"<br>(3) धारा 36-च की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने से, जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से |

दण्डित किया जाएगा" के स्थान पर शब्द "प्रथम अपराध के लिये शास्ति रूपये दस हजार तथा पश्चात्वर्ती अपराध हेतु रूपये बीस हजार से दंडित किया जावेगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

(4) धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात -

**"39. प्राधिकृत अधिकारी आदि द्वारा अवचार के लिए शास्ति.-**

जो कोई-

(क) किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर या ऐसी मांग करने के लिए सम्यक् रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति या अधिनियम के अधीन आपेक्षित कोई जानकारी ऐसी पंजी, रिकॉर्ड या दस्तावेज अनुज्ञापत्र या पास साशय प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह पच्चीस हजार रूपये तक की शास्ति से दण्डनीय होगा।

(ख) धारा 34 या धारा 62 के अधीन बनाये गये किसी नियम के सिवाय इस अधिनियम के अधीन बनाए गये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है, एक लाख रूपये तक की शास्ति से दण्डनीय होगा।

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति द्वारा कोई बाधा पैदा की जाती है या किसी तथ्य को छिपाया जाता है तो वह एक लाख रूपये तक शास्ति से दण्डनीय होगाः

परन्तु राज्य शासन या राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगम द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी / एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी विधिविरूद्ध कृत्य के लिये उत्तरदायी होंगे।"

(5) धारा 40 की उप-धारा (1) में, शब्द "कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो चार हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "प्रथम अपराध के लिए पाँच हजार रूपए की शास्ति तथा बार-बार अपराध करने पर दस हजार रूपए की शास्ति से दण्डित किया जावेगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

(6) धारा 40 की उप-धारा(2) में शब्द "जुर्माने" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

| | |
|---|---|
| 5. | **छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018** (क्र. 19 सन् 2018) में,<br>(1) धारा 24 में शब्द "तो किसी विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा, वह ऐसे कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो ऐसी राशि तक हो सकेगा जो ऐसे सदस्य के तीन माह के वेतन से अधिक न हो अथवा दोनों से दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "तो किसी विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही के अलावा, प्रथम अपराध के लिए सदस्य के 02 माह के वेतन से अनधिक का शास्ति तथा द्वितीय अपराध के लिए सदस्य के लिए 05 माह के वेतन से अनधिक का जुर्माना, तथा बार-बार अपराध के लिए 03 माह से अनधिक के कारावास या सदस्य के 06 माह के वेतन से अधिक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(2) धारा 48 में शब्द "ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "प्रथम अपराध के लिए वह शास्ति जो दस हजार रूपये होगी द्वितीय अपराध के लिए बीस हजार रूपये जुर्माने अथवा तीन माह के कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा" प्रतिस्थापित किया जाए। |
| 6. | **छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960** (क्र. 17 सन् 1961) में,<br>(1) धारा 59-क में उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-<br>"(2) यदि कोई ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार या धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष कोई पुस्तक या कागज-पत्र पेश करने से इंकार करता है, जिसे पेश करना उप-धारा (1) के अधीन उसका कर्तव्य है, या रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा उप-धारा (1) के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इंकार को प्रमाणित कर सकता है और रजिस्ट्रार बचाव में दिए गए किसी कथन को सुनने के पश्चात चूककर्ता पर बीस हजार से अन्यून एवं पचास हजार रुपए से अनधिक का शास्ति लगा सकता है।"<br>(2) धारा 73 की उप-धारा (2) में शब्द "जुर्माने", "दो सौ रूपये तक" तथा "पांच" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दो हजार रुपये" तथा "पांच सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए । |

(3) अध्याय IX में, विद्यमान अध्याय शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

**"अपराध,अनियमितताएं, दंड एवं शास्तियां"।**

(4) धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-

" **74. अपराध.-** इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि –

(क) समिति संचालक या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या रिपोर्ट बनाता है या मिथ्या सूचना देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है; या

(ख) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिये या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें कि वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या

(ग) कोई अधिकारी या कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों कागज-पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको गुप्त रखता है या उनको नष्ट किये जाने, विकृत किये जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किया जाने या उनके गुप्त रखे जाने में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा-पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या ऐसा किया जाने में संसर्गी है; या

(घ) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अन्तरण, बन्धक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी संपत्ति का व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशय से करता है; या

(ङ) जो कोई, समिति के सदस्यों या पदाधिकारियों के चुनाव से पहले, उसके दौरान या उसके बाद कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है; या

(च) कोई अधिकारी उस सोसाइटी की, जिसका कि वह अधिकारी हैं, पुस्तकों, अभिलेखों, नगदी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा 53 या 70 के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है; या।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिये, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो इस धारा में

निर्दिष्ट किया गया है, अन्तर्गत यथास्थिति, भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आवेगा।"

(5) धारा 74 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"**74-क. अनियमितताएं.-** इस अधिनियम के अधीन अनियमितता मानी जाएगी, यदि-

(क) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, केन्द्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या

(ख) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशधन संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गई निधियों का उपयोग, रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सोसाइटी के नाम से करता है या अन्यथा कोई कारबार करने में या व्यापार करने में करता है; या

(ग) कोई अधिकारी या कोई सदस्य, जिसके पास तथा जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हों, ऐसी जानकारी जानबूझकर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें कागजपत्र पेश नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा, 53, 58, 59, 60, 67 तथा 70 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है; या

(घ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला अन्य निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा 42 की उप-धारा (2) के उपबन्धों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है; या

(ङ) कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति का, जो धारा 40 की उप-धारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन है, अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्प्रेरण करता है; या

(च) किसी सोसाईटी का कोई पदाधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है; या

(छ) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किसी भी कोई समंस, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवहेलना करता है; या

| | |
|---|---|
| | (ज) कोई नियोजक जो बिना कोई पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से कटौती की गई धन राशि, ऐसी कटौती किए जाने के दिनांक से चौदह दिवस की कालावधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में विफल रहता हो।<br><br>स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिये, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अन्तर्गत यथास्थिति, भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आवेगा।"<br><br>(6) धारा 75 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-<br>**"75. अपराधों के लिए दंड.-** किसी सोसाइटी, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी भी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जो कि उस समय लागू किसी भी कानून के तहत उसके खिलाफ की जा सकती है, बीस हजार से अन्यून एवं पचास हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि वह धारा 74 में वर्णित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।"<br>(7) धारा 75 के स्थान पर निम्नलिखित नवीन धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-<br>**"75-क. अनियमितताओं के लिए शास्ति.-** किसी सोसाइटी, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी भी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जो कि उस समय लागू किसी भी कानून के तहत उसके खिलाफ की जा सकती है, धारा 74-क में उल्लिखित किसी भी अनियमितता के लिए रजिस्ट्रार द्वारा 25 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।" |
| 7. | **छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961** (क्र. 37 सन् 1961) में,<br>(1) धारा 145 में, शब्द "जुर्माने" के स्थान पर तथा "दो सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(2) धारा 179 की उप-धारा (3) में शब्द "जुर्माने" तथा "पांच सौ रूपये तक" के स्थान पर शब्द "शास्ति" एवं "पांच हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(3) धारा 182 की उप-धारा (4) में शब्द "जुर्माने" तथा "पांच सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। |

(4) धारा 183 की उप-धारा (6) में, शब्द "जुर्माने", "पांच सौ रूपये तक" तथा "दस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(5) धारा 185 की उप-धारा (3) में, शब्द "जुर्माने", "पच्चीस रूपये तक" तथा "दस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(6) धारा 187 की उप-धारा (8) में, शब्द "जुर्माने", "एक हजार रूपये तक" तथा "एक सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दस हजार रूपये" तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(7) धारा 194 की उप-धारा (2) के खंड (क) में, शब्द "जुर्माने", "दो सौ पचास रूपये तक" तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दो हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(8) धारा 197 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(9) धारा 198 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(10) धारा 208 की उप-धारा (5) में, शब्द "एक हजार रूपये तक", के स्थान पर शब्द "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(11) धारा 211 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(12) धारा 212 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(13) धारा 222 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने" तथा "एक सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(14) धारा 222 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(15) धारा 224 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "दस रूपये तक का", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(16) धारा 225 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(17) धारा 226 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने", तथा "पच्चीस रूपये तक" तथा "दस रूपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये के" तथा "पांच सौ रूपये के" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(18) धारा 228 में, शब्द "जुर्माने", "एक हजार रूपये तक का हो सकेगा" तथा "दो हजार रूपये तक" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "दस हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(19) धारा 231 की उप-धारा (4) में, शब्द "जुर्माने", "पांच सौ रूपये से अधिक नहीं" तथा "बीस रूपये प्रतिदिन से अधिक नहीं", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(20) धारा 236 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(21) धारा 236 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(22) धारा 239 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(23) धारा 240 में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(24) धारा 241 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(25) धारा 242 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने", "पच्चीस रूपये तक" तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(26) धारा 246 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(27) धारा 250 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(28) धारा 253 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(29) धारा 254 के खंड (क) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(30) धारा 254 के खंड (ख) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(31) धारा 255 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "पांच सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच सौ रूपये" तथा "दो हजार रूपये " क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(32) धारा 256 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(33) धारा 257 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(34) धारा 258 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(35) धारा 260 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(36) धारा 260 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः-

"(3) उप-धारा (2) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत (किन्तु अन्यथा नहीं) कोई अधिकारी ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का इस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी स्थान को बंद कर देने का इस प्रकार आदेश दिये जाने के पश्चात उसका इस प्रकार उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, वह शास्ति से, जो उस स्थान को बंद करने के उस प्रकार आदेश को हो चुकने के पश्चात के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वहां उस स्थान का इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।"

(37) धारा 262 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(38) धारा 264 की उप-धारा (4) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(39) धारा 268 की उप-धारा (5) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(40) धारा 268 की उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(6) किसी स्थान के संबंध में उप-धारा (5) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत (परन्तु अन्यथा नहीं) कोई अधिकारी ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का उस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे स्थान को बंद करने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात उसका इस प्रकार से उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, शास्ति से, जो उस स्थान को बंद करने के आदेश हो चुकने के पश्चात के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह उसका इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।"

(41) धारा 269 की उप-धारा (2) एवं (3) में, शब्द "मजिस्ट्रेट", "जुर्माने" तथा "पांच सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "मुख्य नगरपालिका अधिकारी", "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(42) धारा 272 की उप-धारा (3) में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "दस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(43) धारा 272 की उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात-

"(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत (किन्तु अन्यथा नहीं) कोई अन्य अधिकारी ऐसे स्थान को बंद कर देने का आदेश देगा

और तदुपरि ऐसे स्थान का उस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा।"

(44) धारा 278 में, शब्द "पचास रूपये तक" के स्थान पर शब्द "एक हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(45) धारा 283 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने", "दो सौ रूपये तक" तथा "चालीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "एक सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(46) धारा 283 की उप-धारा (4) में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "दस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच सौ रूपये" तथा "दो सौ रूपये " क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(47) धारा 285 की उप-धारा (3) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(48) धारा 290 की उप-धारा (2) में शब्द "पांच सौ रूपये तक" तथा "पचास रूपये से अधिक नहीं", के स्थान पर शब्द "पांच हजार रूपये" तथा "एक हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(49) धारा 291 में, शब्द "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट", "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये से अनधिक", के स्थान पर शब्द "मुख्य नगर पालिका अधिकारी", "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(50) धारा 296 में, शब्द "जुर्माने", "पांच सौ रूपये तक", "पांच रूपये तक" तथा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये", "पांच सौ रूपये" तथा "मुख्य नगर पालिका अधिकारी" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(51) धारा 297 में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(52) धारा 300 में, शब्द "मजिस्ट्रेट", "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "मुख्य नगरपालिका अधिकारी", "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(53) धारा 339-झ की उप-धारा (2) में शब्द "जुर्माने", "1,000/- रू." तथा "25,000/- रू.", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दस हजार रूपये" तथा "दो लाख पचास हजार रूपये"

| | |
|---|---|
| | क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(54) धारा 339-झ की उप-धारा (4) में शब्द "जुर्माने" तथा "25,000/- रू.", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "दो लाख पचास हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(55) धारा 356 की उप-धारा (5) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पांच सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(56) धारा 357 की उप-धारा (5) में, शब्द "जुर्माने", "पांच सौ रूपये तक", तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। |
| 8. | **छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956** (क्र. 23 सन् 1956) में,<br>(1) धारा 142 की उप-धारा (3) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिरथापित किया जाए।<br>(2) धारा 165 की उप-धारा (2) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(3) धारा 166 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(4) धारा 170 की उप-धारा (1) में, शब्द "अर्थदण्ड" तथा "या तो अभिकर के जो कि वस्तुओं पर वसूली योग्य दस गुने तक हो या पचास रूपये तक, जो भी अधिक हो, हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये होगा" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(5) धारा 171 में, शब्द "अर्थदण्ड" तथा "या तो आयात पर देय ऐसे पथकर या उपकर के मूल्य के दस गुने तक या पचास रूपये तक, जो भी अधिक हो, हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये होगा" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(6) धारा 199 की उप-धारा (2) में, शब्द "अर्थदण्ड", "पांच सौ रूपये तक हो सकता है" तथा "पचास रूपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "शास्ति","पांच हजार रूपये होगा" तथा "पांच सौ रूपये हो" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(7) धारा 200 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(8) धारा 201 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।<br>(9) धारा 236 की उप-धारा (2) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। |

(10) धारा 252 की उप-धारा (2) में, शब्द "अर्थदण्ड", "दो हजार रूपये से अधिक न हो" तथा "दो सौ रूपये" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दो हजार रूपये होगा" तथा "एक हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(11) धारा 257 की उप-धारा (5) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(12) धारा 258 की उप-धारा (4) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(13) धारा 272 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(14) धारा 290 की उप-धारा (2) में शब्द "अर्थदण्ड" तथा "दस रूपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये होगा" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(15) धारा 292-झ की उप-धारा (2) में शब्द "जुर्माने", "1000/- रू." तथा "25000/- रू." के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दस हजार रूपये" तथा "दो लाख पचास हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(16) धारा 292-झ की उप-धारा (4) में शब्द "जुर्माने" तथा "25000/- रू." के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "दो लाख पचास हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(17) धारा 302 की उप-धारा (2) में शब्द "अर्थदण्ड", "पांच हजार रूपये तक हो सकता है" तथा "दो सौ रूपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये होगा" तथा "एक हजार रूपये होगा" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(18) धारा 332 की उप-धारा (4) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(19) धारा 334 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(20) धारा 335 की उप-धारा (1) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(21) धारा 336 की उप-धारा (1) में, शब्द "अनुसूची दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(22) धारा 336 की उप-धारा (2) में, शब्द "अनुसूची दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(23) धारा 340 की उप-धारा (1) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(24) धारा 341 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(25) धारा 342 की उप-धारा (2) में शब्द "अर्थदण्ड" तथा "100 रूपये तक का हो सकता है किन्तु पच्चीस रूपये से कम नहीं होगा" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "दस हजार रूपये का होगा" शब्द क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए ।

(26) धारा 343 की उप-धारा (3) में, शब्द "अर्थदण्ड", "पांच सौ रूपये तक का हो सकता है" तथा "पचास रूपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये होगा" तथा "पांच सौ रूपये होगा" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए ।

(27) धारा 344 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(28) धारा 345 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(29) धारा 346 में, शब्द "अर्थदण्ड", "एक हजार रूपये तक हो सकता है" तथा "दो हजार रूपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये होगा" तथा "दस हजार रूपये से" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(30) धारा 346-अ में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(31) धारा 356 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(32) धारा 357 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया ज़ाए।

(33) धारा 358 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(34) धारा 360 की उप-धारा (1) में, शब्द समूह "अनुसूची दो के अनुसार होगा" के स्थान पर "पांच सौ रूपये होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

(35) धारा 360 की उप-धारा (3) तथा उप-धारा (5) में, शब्द समूह "अनुसूची दो के अनुसार होगा" के स्थान पर "एक हजार रूपये होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

(36) धारा 361 में, शब्द समूह "अनुसूची दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(37) धारा 363 में, शब्द समूह "विचाराधिकार रखने वाला कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट" तथा "अर्थदण्ड" के स्थान पर "आयुक्त" तथा "शास्ति" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(38) धारा 399 में, शब्द समूह "अनुसूची दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(39) धारा 428 की उप-धारा (1) खण्ड (अ) में, शब्द "जुर्माने", "पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा" तथा "एक सौ रूपये तक हो सकेगा" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये होगा" तथा "पांच सौ रूपये होगा" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(40) धारा 428 की उप-धारा (1) खण्ड (आ) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(41) धारा 428 की उप-धारा (2) में शब्द "अपराधी", "अर्थदण्ड" तथा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "उल्लंघनकर्ता", "शास्ति" तथा "आयुक्त" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए ।

(42) धारा 434 के शीर्षक में, शब्द "**अर्थदण्ड**" के स्थान पर शब्द "**शास्ति**" प्रतिस्थापित किया जाए।

(43) धारा 434 (1) में, शब्द समूह "ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त तालिका के तृतीय स्तंभ में उल्लेखित धन तक हो सकता है" के स्थान पर "ऐसे शास्ति से दण्डनीय होगा जो उक्त तालिका के तृतीय स्तंभ में उल्लेखित है" प्रतिस्थापित किया जाए।

(44) धारा 434 (2) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(45) धारा 434 की उप-धारा (2) में, शब्द "जो उक्त तालिका के चौथे स्तंभ में उल्लेखित धन तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द समूह "जो उक्त तालिका के चौथे स्तंभ में उल्लेखित है" प्रतिस्थापित किया जाए।

(46) धारा 435 में, शब्द समूह "अनुसूची दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(47) धारा 437 में, शब्द समूह "अनुसूची दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हज़ार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(48) धारा 438 में, शब्द समूह "या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से" के स्थान पर शब्द समूह "या पांच हजार रूपये के अर्थदंड या दोनों से" प्रतिस्थापित किया जाए।

(49) धारा 439 की उप-धारा (1) में, शब्द समूह "या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हजार रूपये के अर्थदंड या दोनों से" प्रतिस्थापित किया जाए।

(50) धारा 440 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(51) **अनुसूची दो** के स्थान पर में, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात:-

"**अनुसूची-दो**

| धारा, उप-धारा या खण्ड | विषय वस्तु का संक्षिप्त उल्लेख | शास्ति जो अधिरोपित की जाएगी |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| धारा 142 उप-धारा (3) | निर्धारण कार्य में जानबूझकर विलंब करना या बाधा डालना. | पांच हजार रूपये |
| धारा 165 उप-धारा (2) | कर की देनदारी के सम्बन्ध में असत्य जानकारी देना या लोप करना. | पांच हजार रूपये |
| धारा 166 | स्वामी के सम्बन्ध में गलत जानकारी देना. | पांच हजार रूपये |
| धारा 200 | मलवहन आदि को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बहाना. | पांच हजार रूपये |
| धारा 201 | प्राधिकार के बिना जल निकासों का निर्माण या उनमें परिवर्तन. | पांच हजार रूपये |
| धारा 236 उप-धारा (2) | अनुज्ञा के बिना मुख्य केबल, पाइप, निकास आदि से संयोजन करना. | पांच हजार रूपये |
| धारा 257 उप-धारा (5) | अप्राधिकृत स्थान में विक्रय हेतु पशु का वध करना. | पांच हजार रूपये |
| धारा 258 उप-धारा (4) | देख-रेख में पशु की मृत्यु की स्थिति में निष्क्रियता | एक सौ रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| धारा 272 खण्ड (इ) | भयंकर रोग के संबंध में सूचना देने में विफलता. | पांच हजार रूपये |
| धारा 332 | पेड़ो के काटे जाने, भवन के निर्माण या गिराये जाने आदि के समय सड़को का सुरक्षण आदेशित करने की शक्ति | पांच हजार रूपये एवं द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में पांच सौ रूपये प्रति दिन |
| धारा 334 | दिशासूचक-स्तंभों, दीप-स्तंभों आदि का नष्ट किया जाना. | एक हजार रूपये |
| धारा 335 उप-धारा (1) | अनुज्ञा के बिना पर्चों का चिपकाया जाना. | पांच हजार रूपये |
| धारा 340 उप-धारा (1) | अनुज्ञा के बिना पशुओं का बांधा जाना | पांच सौ रूपये |
| धारा 341 | समुचित प्रकाश के बिना वाहन चलाना | पांच सौ रूपये |
| धारा 344 | आग्नेय अस्त्रों का चलाया जाना | पांच हजार रूपये |
| धारा 345 | खदान खनन, सुरंग लगाना, इमारती लकड़ी काटना या भवन निर्माण | पांच हजार रूपये |
| धारा 346-अ | नाली या पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में थूकना | पांच सौ रूपये |
| धारा 356 | मुख-बंधनी के बिना कुत्तों को घूमने देना | एक हजार रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| धारा 357 | हाथियों आदि का नियंत्रण नहीं करना | एक हजार रूपये |
| धारा 358 | घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ना | एक हजार रूपये |
| धारा 363 | अवैध रूप से व्यभिचार गृह का संचालन | पांच हजार रूपये" |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में प्रवृत्त विभिन्न विधियों में उनके उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना या/और कारावास का प्रावधान किया गया है । यह न्यायिक प्रक्रिया प्रशासन के प्रभावी होने को विलम्बित रखता है। साथ ही, उल्लंघन-कर्ता व्यक्ति या निकाय को लम्बे समय के लिए उलझा कर रखता है। ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और ईज ऑफ़ लिविंग की दिशा में इन विधियों के संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा भी पहल किये गए हैं।

और यतः, अपराध का शमन अपनाकर उल्लंघन-कर्ता अभियोजन और संभावित दोषसिद्धि एवं अन्य कानूनी कार्यवाही से बच सकता है। विधियों के उल्लंघनों की स्थिति के गैर-अपराधीकरण करने से जीवन यापन और व्यवसाय करने में सहजता बढ़ेगी। इससे विश्वासमय शासन की स्थापना हो सकेगी।

और यतः, कई विधियों में आर्थिक दंड की सीमा में लम्बे समय से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे उल्लंघन-कर्ता के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती एवं कई बार दंड के शुल्क की प्राप्ति की तुलना में न्यायिक प्रक्रिया में अधिक व्यय कारित हो जाता है। उल्लंघन के विरुद्ध प्रभावी प्रक्रिया कायम करने एवं प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए यह विधि निर्मित की जा रही है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांक 11 जुलाई,2025

लखनलाल देवांगन
वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

## उपाबंध

| क्र. | वर्तमान प्रावधान |
|---|---|
| 1. | **छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973**<br>**69-ख. अनाधिकृत प्रवेश आदि एवं अपराध के विषय में प्राधिकारी की शक्ति.-**<br>(2) जो कोई, -<br>(क) किसी व्यक्ति, जिसके साथ प्राधिकारी ने संविदा किया हो, को उसके कर्तव्यों के निष्पादन, से रोकता है; या अन्य कृत्य जिसकी इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्ति रखता हो या किये जाने की आवश्यकता हो; या<br>(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक किसी स्तर या दिशा को चिन्हित करने के उद्देश्य से बनाये गये किसी चिन्ह को हटाता है,<br>को साधारण कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो रुपये पचास हजार तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।<br>(4) जो कोई इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित कोई नियम या विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, यदि इस अधिनियम में अन्यत्र कोई जुर्माना नहीं दिया गया है, तो उसे तीन माह की अवधि तक या रुपये पांच हजार के जुर्माने तक या दोनों से दण्डित किया जायेगा।<br>(5) कोई व्यक्ति, जो उपरोक्त उपधारा के अन्तर्गत अपराध करने के पश्चात् समान अपराध को करना जारी रखता है, को प्रथम अपराध के होने के पश्चात् ऐसे अपराध जारी रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिये रुपये एक हजार तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।<br>(6) जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है, और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या उपेक्षा या उनसे संबंधित किसी अवहेलना से हुआ है, ऐसे संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे, और उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, अधिकतम रुपये बीस हजार प्रतिदिन के जुर्माने से, दण्डित किये जाने हेतु दायी होंगे।<br>**77. प्रवेश का अधिकार.-**<br>(2) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन किसी भूमि या भवन में या उस पर प्रवेश करने के लिये सशक्त किये गये सम्यक् रूपेण प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी को प्रवेश करने में बाधा पहुंचायेगा या ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रवेश के पश्चात् छोड़ेगा, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 500/- रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा। |

| | |
|---|---|
| 2. | <u>छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973</u><br>**16. सदस्यों का रजिस्टर. –**<br>(4) यदि किसी सदस्य के प्रवेश या सदस्यता की समाप्ति के 30 दिन के भीतर सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न की जाये तो व्यतिक्रम करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।<br>**31-क. शिक्षा अधिकारी-रजिस्ट्रार के रुप में.-** इस अध्याय में "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत होगा छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थ के अन्तर्गत शिक्षा अधिकारी।<br>**38. धारा 27 का पालन न करने पर मिथ्या प्रविष्टि के लिये शास्ति. -**<br>(1) यदि अध्यक्ष, मभिव या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो सोसायटी के शामी निकाय के संकल्प द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो:-<br>(क) धारा 27 के उपबंधनों का अनुपालन न करे; या<br>(ख) छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय)अधिनियम, 1978 की धारा 4 के अधीन दिये गये किसी निर्देश का या धारा 3 या धारा 5 या धारा 6 के उपबंधों का पालन न करे; तो वह दोष सिद्धि पर-<br>(i) जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान भंग चालू रहे, पचास रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा;<br>(ii)(**)<br>(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 27 द्वारा अपेक्षित की गई सूची में या रजिस्ट्रार को भेजे गए किसी विवरण में या विनियम की प्रतिलिपि में या विनियम में किए गए परिवर्तनों में जानबुझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या उसमें कोई लोप करेगा या करवायेगा, तो वह दोषसिद्धी पर, जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक होहो सकेगा दण्डनीय होगा।<br>**39. धारा 28 तथा 31 के उल्लंघन के लिये शास्ति -**<br>यदि धारा 28 तथा 31 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट कोई सोसायटी या कोई व्यक्ति उन धाराओं के अधीन अपेक्षित जानकारी या स्पष्टीकरण देने से इंकार करेगा या देने में उपेक्षा करेगा तो वह सोसायटी या ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध पर जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे अपराध की बाबत् बीस रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा। |

| | |
|---|---|
| 3. | <u>छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960</u><br>**93. अन्यत्र उपबंधित न किए गए अपराधों के लिए दंड.-** जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या इसके अधीन दिए गए किसी लिखित आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यत्र कोई दंड उपबंधित नहीं है, एक सौ रुपए तक के जुर्माने से और ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किए जाने की दशा में दो सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। |
| 4. | <u>छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915</u><br>**36-क. किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाने के लिए या किसी भी ऐसे स्थान के देख-रेख उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने के लिए या ऐसे किसी स्थान के कारोबार का संचालन करने की सहायता करने के लिए शास्ति.** - जो कोई -<br>इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या दिये गये किसी आदेश के या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या पास के उल्लंघन में -<br>(क) किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान गृह के रूप में खोलेगा, रखेगा या उपयोग में लायेगा, या<br>(ख) सामान्य मदिरा पान गृह के रूप में खोले गये, रखो गये या उपयोग में लाये गये किसी स्थान की देखरेख या उसका प्रबंध या नियंत्रण रखेगा या ऐसे स्थान का कारोबार का संचालन करने में किसी भी रीति में सहायता करेगा,<br>वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, यह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।<br>**36-च. सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के लिए शास्ति.** - (1) जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूजा स्थलों), बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करते हुए या मत्त पाया जाता है तो उसे जुर्माने से. जो प्रथम अपराध के लिए एक हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु पांच हजार रूपये तक का ह सकेगा तथा अपराध के पुनरावृत्त किए जाने की दशा में, जुर्माने से जो पांच हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो जायेगा, दस हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से दण्डित किया।<br>(2) सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान कर उत्पात करने के लिए शास्ति:- जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूज स्थलों), बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करने के पश्चात उत्पात करते हुए पाया जाता है तो उसे जुर्माना से, जो दस |

हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावारा रो दण्डित किया जायेगा ।

**39. अनुज्ञप्तिधारियों आदि पर अवचार किये जाने के लिए शास्ति.-** इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का कोई धारक या ऐसे धारक के नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाले कोई व्यक्ति, जो-

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर या ऐसी मांग करने के लिए सम्यक रूप सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास साशय पेश नहीं करेगा, या

(ख) धारा 34 द्वारा उपबंधित किसी मामले में के सिवाय धारा 62 के अधीन बनाए गए किसी नियम का साशय, उल्लंघन करेगा, या

(ग) अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग करते हुए कोई भी ऐसा कार्य जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित नहीं है. साशय करेगा,

वह (क) के मामले में जुर्माने से, जो चार सौ रूपये तक का हो सकेगा तथा (ख) या (ग) के मामले में जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**40. रसायन (केमिस्ट) आदि की दुकान में उपयोग करने की अनुज्ञा देने के लिए शास्ति.-**

(1) कोई भी रसायनज्ञ (केमिस्ट), मेषजिक (ड्रगिस्ट), अतार (एम्पाधिकारी) या औषधालय चलाने वाला जो किसी ऐसे मादक द्रव्य को, जो औषधीय प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक औषधियुक्त न किया गया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि उसके कारबार में नियोजित न हो, अपने कारबार के परिसर में उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो चार हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) पूर्वोक्त रूप से नियोजित न हुआ कोई व्यक्ति, जो ऐसे मादक द्रव्य का उपयोग ऐसे परिसर पर करेगा, वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

| | |
|---|---|
| 5. | <u>छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018</u><br>**24. कर्त्तव्य के उल्लंघन के लिए शास्ति.-** किसी भी प्रकार की कार्रवाई, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किया जा सकता है, के होते हुए भी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का प्रत्येक सदस्य जो.-<br>(एक) कर्तव्य के किसी उल्लंघन का या इस अधिनियम के किसी प्रावधान का या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या जारी आदेश का जानबूझकर उल्लंघन का दोषी पाया जाता हैं, अथवा<br>(दो) कायरता का दोषी पाया जाता है; अथवा<br>(तीन) पंद्रह या अधिक दिनों से किसी अनुमति या पूर्व नोटिस दिए बिना अपने पदीय कर्तव्य से अनुपस्थित या गायब रहता है; अथवा<br>(चार) अवकाश पर अनुपस्थित रहता है जो ऐसे अवकाश के समापन के बाद भी कर्त्तव्य पर किसी समुचित कारण के बिना, रिपोर्ट करने में विफल रहता है; अथवा<br>(पांच) नियमों के प्रावधान के उल्लंघन में, किसी अन्य नियोजन या कार्यालय में, अपने कारोबार में संलिप्त होना स्वीकार करता है;<br>तो किसी विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा, वह ऐसे कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो ऐसी राशि तक हो सकेगा जो ऐसे सदस्य के तीन माह के वेतन से अधिक न हो अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।<br>**48. अग्निशमन एवं बचाव कार्यों में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने पर शास्ति.-** कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के किसी सदस्य, जो अग्नि बचाव कार्य में संलग्न है, के साथ हस्तक्षेप करता है या बाधा उत्पन्न करता है; तो वह ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा। |
| 6. | <u>छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाईटी अधिनियम, 1960</u><br>**59-क. जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्त्तव्य. –**<br>(1) सोसाइटी के समस्त अधिकारी, सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य जिनके कि संबंध में जाँच की जा रही हो, तथा कोई अन्य व्यक्ति जो जाँच करने वाले अधिकारी की राय में, सोसाइटी से संबंधित जानकारी, पुस्तकों तथा कागज-पत्रों का कब्जा रखे हुए हों, जाँच करने वाले अधिकारी को ऐसी जानकारी, जो कि उनके कब्जे में हो, देगे तथा सोसाइटी से रांबंधित समस्त पुस्तकें एवं कागज-पत्र, जो उनकी अभिरक्षा में हों तथा उनकी शक्ति के अधीन हों, पेश करेंगे तथा जाँच के संबंध में अन्य प्रकार से वह समस्त सहायता देंगे जो कि वे युक्तियुक्त रूप से दे सकते हों।<br>(2) यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसे कागज पत्र, जिन्हें पेश करना |

उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति का कर्तव्य है, पेश करने से इंकार करे या किसी ऐसे प्रश्न का जो कि उससे रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा किया जाए, उत्तर देने से इंकार करे, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस इंकार को प्रमाणित कर सकेगा औररजिस्ट्रार कोई ऐसा कथन, जो कि प्रतिवाद में दिया जाए, सुनने के पश्चात् व्यतिक्रमी को शास्ति से, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, दण्डित कर सकेगा। इस धारा के अधीन शास्ति के रूप में अधिरोपित की गई कोई राशि,अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार वसूलीय होगी, मानो कि वह स्वयं उस मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो ।

**73. शब्द "सहकारी" के प्रयोग का प्रतिषेध.–**

(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियामके अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसाइटी से तथाकिसी ऐसे व्यक्ति या उसके हित उत्तराधिकारी से जिसकाकि नाम या अभिधान वह है, जिसके कि अधीन वह इसअधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को व्यापार या कारबारकरता रहा हो, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसीऐसे नाम या अभिधान से, जिसका भाग रूप शब्द "सहकारी" या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्यायवाची शब्द हो, कृत्य नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा या कारबार नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 14 कीउपधारा (2) के उल्लंघन में बनाई गई किसी सोसाइटीका सदस्य है तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराधकी दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसको कि ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसा अपराध चालू रहता है, पाँच रुपये अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

**अध्याय IX अपराध एवं दंड**

**74. अपराध.-** इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि –

(क) कोई बोर्ड या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर कोई मिथ्या रिपोर्ट करता है या मिथ्या जानकारी देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है; या

(ख) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, केन्द्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या

(ग) किसी निर्माणधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस - प्रकार एकत्रित की गई निधियों का उपयोग रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सोसाइटी के नाम से करता है या अन्यथा कोई कारोबार करने में या व्यापार करने में करता है; या

(घ) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के

जिसमें कि वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या

(ङ) कोई अधिकारी या कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागज-पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको गुप्त रखता है या उनको नष्ट किये जाने, विकृत किये जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किये जाने या उनके गुप्त रखे जाने में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या ऐसा किया जाने में संसर्गी है; या

(च) कोई अधिकारी या कोई सदस्य जिसके पास जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हों, ऐसी जानकारी जानबूझकर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें तथा कागज पत्र पेश नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा 53, 58, 59, 60, 67 तथा 70 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है; या

(छ) कोई अधिकारी उस सोसाइटी की जिसका कि वह अधिकारी है, पुस्तकों, अभिलेखों, नगदी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा 53 या 70 के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है; या

(ज) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है,कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अन्तरण, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशय से करता है; या

(झ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला अन्य निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा 42 की उपधारा (2) के उपबन्धों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है;या

(ञ) कोई व्यक्ति किसी ऐसी राम्पत्ति का, जो धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन है, अर्जन करता है यां उसके अर्जन में दुष्प्रेरण करता है; गा

(ट) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है, जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है या ऐसे कार्य लोप का दोषी है, जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है या

(ठ) अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना कोई युक्तियुक्त कारण के, कोई समंस, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किया गया हो, की अवहेलना करता हो; या

(ड) कोई नियोजक जो बिना कोई पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से कटौती की गई धन राशि, ऐसी कटौती किए जाने के दिनांक से चौदह दिवस की कालावधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में विफल रहता हो; या

(ढ) बोर्ड के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के दौरान, पूर्व अथवा पश्चात कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण करता हो, जो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित किया गया हो।

**स्पष्टीकरण** -- इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी या सदस्य के जो कि इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अन्तर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी गा भूतपूर्व सदस्य भी आएगा।

**75. अपराधों के लिए शास्तियाँ.-** किसी सोसाइटी की प्रत्येक बोर्ड, उसका प्रत्येकअधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोईअन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर, जो कितत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके विरुद्ध कीजा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना –

(क) जुर्माने से, जो 150,000 रुपये से अधिकनहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा74 (क) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराधका सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ख) जुमने से, जो 25,000 रुपये से अधिकनहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा74 (ख) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराधका सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ग) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिकनहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ग) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(घ) जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (घ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ङ) जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ङ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(च) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (च) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो;या

(छ) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (छ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ज) जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ज) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(झ) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (झ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो;या

| | |
|---|---|
| | (ञ) जुर्माने से जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ञ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या<br>(ट) जुर्माने से जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ट) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो या]<br>(ठ) जुर्माने से जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ठ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या<br>(ड) जुर्माने से जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, प्रत्येक मामले में दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ड) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या<br>(ढ) जैसा कि राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए। |
| 7. | **छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961**<br>**145. भाड़ा वृद्धि की सूचना देने में असफलता.** - जो कोई धारा 143 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा अपेक्षित भाड़ा वृद्धि की सूचना देने में असफल रहे या भाड़ा वृद्धि की ऐसी सूचना दे जो सारतः असत्य है, ऐसे जुर्माने से,जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।<br>**179. सार्वजनिक पथों आदि के संबंध में शक्तियां.** –<br>(2) किसी भी सार्वजनिक पथ का अभिन्यास करने, उसे बनाने, मोड़ने, उसकी दिशा बदलने, उसे चौड़ा करने, बढ़ाने या अन्यथा उसमें कोई सुधार करने के समय परिषद् उसके वाहन मार्गों और पैदल मार्गों और उसकी नालियों के लिए अपेक्षित भूमि के अतिरिक्त किसी ऐसी अन्य भूमि का, जो उक्त पथ को रूप देने हेतु गृहों और भवनों के सन्निर्माण के लिए अपेक्षित है, अर्जन कर सकेगी और धारा 109 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए वह ऐसी अतिरिक्त भूमि का, उस पर बनाए जाने वाले गृहों और भवनों के वर्ग तथा विवरण के सम्बन्ध में ऐसे अनुबन्धों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, विक्रय कर सकेगी या उसके शाश्वत रूप से या कुछ वर्षों के लिए पट्टे पर देकर उसका व्ययन कर सकेगी।<br>(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अतिरिक्त भूमियों का क्रय किया है या उन्हें पट्टे पर लिया है, ऐसे अनुबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहे, तो वह उक्त भूमि के विक्रय या पट्टे के करार के अधीन उसके द्वारा उपगत किसी भी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है, दण्डित किए जाने का दायी होगा।<br>**182. भवनों या प्राइवेट पथों के लिए भूमियों का अभिन्यास करने के आशय की सूचना का दिया जाना.-**<br>(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो,<br>(क) किसी भूमि का, क्रेता या पट्टेदार की ओर से की गई किसी प्रसंविदा या करार के अध्यधीन रहते हुए, उस पर भवनों का परिनिर्माण करने के लिए विक्रय करने का या पट्टे पर देने का आशय रखता है;<br>(ख) भूमि को,चाहे उस पर निर्माण कार्य न हुआ हो या आंशिक रूप से हुआ हो, भवन निर्माण के लिए भूमि खण्डों में विभाजित करने का आशय रखता है; |

(ग) किसी भूमि या उसके किसी भाग को, भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने का आशय रखता है या उसका उपयोग में लाया जाना अनुज्ञात करने का आशय रखता है; या

(घ) किसी प्राइवेट पथ को बनाने का आशय रखता है या उसका अभिन्यास करने का आशय रखता है, चाहे जनता को ऐसे पथ पर आने जाने या पहुंच का अधिकार दिए जाने के लिए आशयित हो या न हो

तो वह ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना परिषद् को देगा और ऐसी सूचना के साथ रेखांक और सेक्शन्स भी प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसी भूमि या भवन या पथ के आशयित तल, जल निकास के साधन, दिशा एवं चौड़ाई और अन्य ऐसी विशिष्टियाँ दर्शाई जाएंगी, जिन्हें परिषद् उपविधियों द्वारा विहित करे और इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय ऐसी प्रत्येक भूमि, भवन या पथ के तल, जल निकास के साधन, दिशा और चौड़ाई ऐसी होगी जैसी परिषद् द्वारा नियत या अनुमोदित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किए जाने के पूर्व परिषद् एक ऐसा अन्तिम आदेश पारित कर सकेगी जिसमें यह निर्देश दिया गया हो कि एक मास से अनधिक ऐसी कालावधि तक, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, आशयित कार्य आगे न किया जाए या वह और विशिष्टियां मंगवा सकेगी-

(3) यदि-

(क) उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना की प्राप्ति से दो मास के भीतर परिषद्- (एक) उक्त धारा के अधीन आदेश पारित करने और उसकी सूचना की तामील करने में असफल रहती है; या (दो) उपधारा (2) के अधीन अन्तिम आदेश जारी करने या और विशिष्टियां मंगवानें में असफल रहती है;या

(ख) परिषद् और विशिष्टियों के लिए ऐसी मांग करने पर तथा ऐसी मांग के अनुसार और विशिष्टियां प्राप्त कर लेने पर ऐसी विशिष्टियों की प्राप्ति से एक मास के भीतर और आदेश जारी करने में असफल रहती है

तो ऐसी रीति में, जो उपधारा (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट है और जो इस अधिनियम के या उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी उपविधि के किसी भी उपबन्ध से असंगत नहीं है, भूमि को भवन निर्माण के लिए भूमि खण्डों में विभाजित किया जा सकेगा या उसका भवन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा या पथ का अभिन्यास किया जा सकेगा तथा पथ बनाया जा सकेगा।

(1) कोई भी जो, उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना दिए बिना ही या उपधारा (1) या (2) के अधीन परिषद् के आदेशों के अनुसार के सिवाय या उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन के सिवाय या इस अधिनियम या उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त किन्हीं भी उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी भी रीति में किसी भूमि को भवन निर्माण के लिए भूमि खण्डों में विभाजित करेगा या उसका भवन के प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा या ऐसे किसी पथ का अभिन्यास करेगा या ऐसा पथ बनाएगा वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा तथा परिषद् ऐसे किसी भूमि में, जो इस प्रकार भवनों के प्रयोजनों के लिए विभाजित की गई या उपयोग में लाई गई है या उस पथ में, जिसका अभिन्यास किया गया है या जिसे बनाया गया है, परिवर्तन करवा सकेगी,उसे तुड़वा सकेगी या उसे हटवा सकेगी और ऐसा करने में उपगत व्यय का संदाय अपराधी द्वारा उसे किया जाएगा और वह उसी रीति में वसूलीय होगा जिस रीति में अध्याय 8 के अधीन वसूलीय किसी कर के मद्धे

द्वावाकृत रकम वसूल की जाती है।

**183. सार्वजनिक पथों की नियमित लाईन. –**

(1) परिषद् नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक पथ के दोनों ओर लाईनविहित करने के अपने आशय की कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् और उसके द्वारा प्राप्त की गई आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसी लाईन विहित कर सकेगी जो सार्वजनिक पथ की नियमित लाईन कहलाएगी और इस प्रकार विहित की गई लाईन या उसके किसी भाग के स्थान पर समय-समय पर उसी रीति में एक नई लाईन विहित कर सकेगी

परन्तु किसी सार्वजनिक पथ की ऐसी नियमित लाईन राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही विहित की जाएगी अन्यथा नहीं

परन्तु यह और भी कि यदि राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक है कि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर के किसी सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन विहित की जाए और ऐसे पथ के संबंध में परिषद् अभी तक उसे विहित करने में असफल रही है, तो राज्य सरकार लिखित अध्यपेक्षा द्वारा परिषद् से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उसे उक्त पथ के संबंध में विहित करे।

(3) सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन उपधारा (1) के अधीन विहित की जाने पर-

(एक) कोई भी व्यक्ति ऐसी लाइन के भीतर किसी भवन या उसके भाग का सन्निर्माण या पुनः सन्निर्माण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं;

(दो) ऐसी लाइन के भीतर स्थित समस्त खुली भूमियां या वे भूमियां, जिनमें खण्डहर हैं, सार्वजनिक पथ का भाग समझी जाएंगी और वह परिषद् में निहित होंगी।

(6) जो कोई उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**185. भवन की छत तथा बाहरी दीवालों का ज्वलनशील सामग्री से न बनाया जाना. –**

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संनिर्मित या नवीकृत भवनों की बाहरी छतें तथा दीवालें परिषद् की ऐसी लिखित अनुज्ञा के सिवाय जो या पृथक् पृथक् मामलों में विशेष रूप से या उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में सामान्यतः दी जा सकेगी, घास, लकड़ी, कपड़े, केनवास, पत्तियों, चटाईयों या अन्य ज्वलनशील सामग्री की नहीं बनायी जाएगी।

(2) यदि परिषद् की राय में ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है तो वह कम से कम पन्द्रह दिन की लिखित सूचना देकर किसी भी समय किसी भी ऐसे भवन के, जिसकी बाहरी छत या दीवाल किसी भी ऐसी यथा पूर्वोक्त सामग्री की बनी है, स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी छत या दीवाल को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, हटा दे चाहे ऐसी छत, दीवाल इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय के

पूर्व बनाई गई या नहीं बनाई गई है और चाहे वह परिषद् की सम्मति से या सम्मति के बिना बनाई गई है।

(3) जो कोई ऐसी सम्मति के बिना, जैसी उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, यथापूर्वोक्त ऐसी किसी सामग्री की कोई छत या दीवाल बनाएगा या बनवाएगा या उपधारा (2) के अधीन दी गई सूचना की अपेक्षाओं की अवज्ञा करेगा और उसे बने रहने देगा ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा और ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे उल्लंघन के लिए प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध चालू रहता है, दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**187. नए भवनों की सूचना. –**

(2) किसी भवन का परिनिर्माण या उसमें बाहरी परिवर्तन या किसी विद्यमान भवन में परिवर्धन या किसी भवन के प्रक्षेपि ऐसे भाग का, जिसके संबंध में परिषद् उसका हटाया जाना या पीछे हटाया जाना प्रवर्तित करने के लिए धारा 184 द्वारा सशक्त की गई है, संनिर्माण या पुनःनिर्माण आरम्भ करने के पूर्व वह व्यक्ति जो इस प्रकार भवन के निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनः संनिर्माण करने का आशय रखता है उस बाबत् लिखित सूचना परिषद् को देगा और यदि किसी उपविधि या विशेष आदेश द्वारा उससे ऐसा अपेक्षित किया जाए तो वह ऐसी सूचना के साथ एक ऐसा रेखांक प्रस्तुत करेगा जिसमें कुछ ऐसे तलों के प्रति, जो परिषद् को ज्ञात हों,निर्देश करते हुए वे तल दर्शाए गए हों जिन पर कि ऐसे भवन की नींव या निम्नतम फर्श बनाया जाना प्रस्तावित है और प्रस्तावित भवन की सीमाओं, डिजाइन, संवातन तथा सामग्री के सम्बन्ध में और उसके संबंध में उपयोग में आने वाली नालियों, मलनालियों, सण्डासों, फ्लश शौचालयों और मलकुण्डों, यदि कोई हों, की स्थिति का संनिर्माण तथा विद्यमान या परियोजित किसी पथ के प्रति निर्देश करते हुए भवन की अवस्थिति तथा उस प्रयोजन, जिसके लिए भवन का उपयोग किया जाएगा, के बारे में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी अपेक्षित की जाए।

(7) कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे आशयित कार्य को, जिसकी सूचना उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित है, उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन आगे बढ़ाने के लिए हकदार हो जाता है ऐसे कार्य को उस तारीख से, जिसको वह प्रथम बार ऐसे कार्य को आगे बढ़ाए जाने हेतु हकदार हो गया है, दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक वह पूर्ववर्ती उपधारा के उपबन्धों का नए सिरे से पालन करने के पश्चात् पुनः हकदार नहीं बन जाता है।

(8) कोई भी जो अनुज्ञा प्राप्त किये बिना या उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित सूचना दिये बिना या ऊपर विहित दस्तावेज या जानकारी दिये बिना या किसी भी रीति में जो परिषद् के ऐसे आदेशों के, जो कि इस धारा के अधीन दिये जायं, प्रतिकूल हों, या जो उपधारा (7) के उपबंधों के अप्रतिकूल हों, या किसी भी अन्य बात के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन प्रवृत्त किन्हीं भी उपविधियों के प्रतिकूल हों, कोई रचना, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्रचना प्रारम्भ करें, ऐसे जुमाने से दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और पूर्वोक्त किन्हीं भी उपबंध का उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिये दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहे, एक सौ रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा

परन्तु मुख्य नगरपालिका अधिकारी उल्लंघन के संबंध में जुर्माने के लिये कार्यवाही करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित सूचना द्वारा स्वामी से अपेक्षा कर सकेगा-

(क) या तो कार्य को ढहाने या हटाने या यदि वह उसमें ऐसे परिवर्तन करने के प्रभाव का चयन करता है जैसा कि सूचना में दर्शित अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक हो, या

(ख) जो ऐसे भवन को बना रहा है या ऐसे कार्य को निष्पादित कर रहा है या ऐसे भवन को बना दिया है या कार्य का निष्पादन कर दिया है ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे दिन को या उससे पूर्व ऐसे लिखित कथन द्वारा जो या तो उसके द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संबोधित हो, ऐसा पर्याप्त कारण दर्शित हो कि क्यों न ऐसे भवन या कार्य को हटा दिया जाये,

(ग) सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट ऐसे दिन तथा ऐसे समय तथा स्थान पर उसे वैयक्तिक रूप से या उसके द्वारा इस सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अभिकर्ता उपस्थित हो तथा ऐसा पर्याप्त कारण बताये कि क्यों न ऐसे भवन या कार्य को हटा दिया जाये, परिवर्तित कर दिया जाये या ढहा दिया जाये।

**194. कतिपय प्रक्षेपों के लिए अनुज्ञा आवश्यक होगी.** -

(2) (क) कोई भी ऐसा स्वामी या अधिभोगी जो यथापूर्वोक्त कोई प्रक्षेप ऐसी अनुज्ञा के बिना या ऐसे आदेशों, के उल्लंघन में बनाएगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और यदि ऐसा कोई स्वामी या अधिभोगी यथापूर्वोक्त कोई ऐसा प्रक्षेप, जिसके संबंध में उसे इस धारा के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है, हटाने में असफल रहे वह ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें ऐसी असफलता या उपेक्षा चालू रहे, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**197. पथों और उद्यानों का नामकरण तथा गृहों का संख्यांकन.**-

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे नाम या संख्यांक को नष्ट करता है, खींचकर गिराता है या विरूपित करता है, या परिषद् द्वारा लगाए गए नाम या संख्यांक से भिन्न कोई नाम या संख्यांक लगाता है, ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**198. भवनों आदि को विरूपित करने के लिए शास्ति.** - कोई भी व्यक्ति

(क) जो परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई विज्ञापन पत्र (पोस्टर), विज्ञप्ति (बिल), प्लेकार्ड या अन्य कोई कागज पत्र या विज्ञापन का साधन किसी ऐसे भवन, दीवाल, बोर्ड, बाड़ या खम्बे, स्तम्भ, दीपस्तम्भ,या ऐसी ही अन्य वस्तु के समक्ष या उस पर, जो नगरपालिका की सम्पत्ति है, लगाएगा; या

(ख) जो यथा पूर्वोक्त ऐसी सम्पत्ति के बिना किसी ऐसे भवन, दीवाल, बोर्ड, बाड़ या स्तम्भ पर खड़िया या रंग से या अन्य किसी भी प्रकार से लिखेगा, उसे गन्दा करेगा, विरूपित करेगा या चिन्हित करेगा।

वह ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**208. सण्डासों आदि का व्यवस्था.** -

(5) यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी इस धारा के अधीन सूचना या आदेश की तामील के

बावजूद,उसमें उल्लिखित कार्य यथास्थिति, सूचना या आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और उस दशा में जबकि वह जुर्माने का संदाय नहीं करता है, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा:

परन्तु इस धारा के उल्लंघन के सम्बन्ध में दंड के लिए कार्यवाहियां करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् उक्त कार्य अपने अभिकरण के माध्यम से करवा सकेगी और उसके सम्बन्ध में उपगत खर्च यथास्थिति उसके स्वामी या अधिभोगी से, उस रीति में वसूल, कर सकेगी जो अध्याय 8 में उपबन्धित है।

**211. अप्राधिकृत रूप से संनिर्मित, पुनः निर्मित की गई या बन्द न की गई मलनालियों आदि के संबंध में शक्ति** - परिषद् लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी भूमि पर की कोई ऐसी मल-नाली, नाली, सण्डास, फ्लश शौचालय, सफाईगली या मलकुण्ड,जो-

(क) ऐसी भूमि के नगरपालिका का भाग हो जाने के पश्चात्; और

(ख) या तो नगरपालिका की सम्मति के बिना या उसके आदेशों, निदेशों या साधारण विनियमों या उपविधियों के प्रतिकूल या उस समय, जब कि वह संनिर्मित किया गया, पुनः निर्मित किया गया या बन्द किया गया था, प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबंधों के प्रतिकूल संनिर्मित किया गया था, पुनः निर्गित किया गया था या बन्द न किया गया था, उस व्यक्ति द्वारा, जिसने उसे इस प्रकार संनिर्मित किया, पुनः निर्मित किया या बन्द न किया हो इस प्रकार तोड़ दिया जाए, संशोधित कर दिया जाए या परिवर्तित कर दिया जाए जैसा वह ठीक समझे और प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी मलनाली, नाली, सण्डास, फ्लश शौचालय, सफाई गली या मल कुण्ड इस प्रकार संनिर्मित कर रहा है, पुनः निर्माण कर रहा है या बन्द नहीं कर रहा है चाहे उसे ऐसी सूचना प्राप्त हुई है या नहीं या उसने उसका पालन किया है या नहीं, किसी ऐसी शास्ति के साथ-साथ जिसके लिए वह ऐसे अपालन के कारण दायी है, ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**212. नगरपालिका की नालियों पर अधिक्रमण.** - (1) कोई भी, जो परिषद् की लिखित सम्मति पूर्व में अभिप्राप्त किए बिना, परिषद् में निहित किन्हीं मलनालियों पर उनमें से कोई नाली बनाता है या बनवाता है, वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और परिषद् लिखित सूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी नाली को तोड़ दे, परिवर्तित कर दे, पुनः बनाए या उसके सम्बन्ध में अन्यथा ऐसी कार्यवाही करे, जैसी परिषद् ठीक समझे।

**222. खड़ंजा आदि का विस्थापित किया जाना.** (1) जो कोई, परिषद् की या अन्य निधिपूर्ण अधिकारी की लिखित सम्मति के बिना, किसी सार्वजनिक पथ के खड़ंजे, गन्दीनाली, प्रस्तर खण्ड या अन्य सामग्री को या उसकी बाड़ों, या स्तम्भों को, या उसगें के नगरपालिका के किसी दीप, दीप - स्तम्भ, दीवारगीरी (ब्रेकेट), दीवालों पानी के नल, बम्बा या नगरपालिका की ऐसी अन्य सम्पत्ति को विस्थापित करेगा, ले जाएगा या उसमें कोई परिवर्तन करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे खड़ंजे, गन्दीनाली, प्रस्तरखण्ड या अन्य सामग्रियों को, या ऐसे बाड़ों, दीवालों, स्तम्भों, नगरपालिका के दीपों, दीपस्तम्भों, दीवारगिरियों, पानी के नलों, बम्बों या नगरपालिका की अन्य सम्पत्ति

को विस्थापित करने या ले जाने या उसमें परिवर्तन करने के पश्चात् परिषद् के समाधानप्रदरूप में उन्हें वापस रखने या पुनःस्थापित करने में, ऐसा करने की सूचना के पश्चात् असफल रहेगा, वह ऐसे जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और वह किसी ऐसे व्यय का संदाय करेगा जो उन्हें प्रतिस्थापित करने या पुनःस्थापित करने में उपगत हुए हों, और ऐसा व्यय उसी रीति में वसूलीय होगा जिस रीति में अध्याय 8 के अधीन वसूलीय कर के मद्धे दावाकृत रकम वसूल की जाती है।

**224. मरम्मत आदि के दौरान घेरा लगाया जाना.-** (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी भवन को संनिर्मित करने या ढ़हाने या किसी भवन में बाहरी परिवर्तन करने या उसकी मरम्मत करने का आशय रखता है, यदि कार्य की दशा या परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे या जिनसे किसी पथ में बाधा, खतरा या असुविधा होने की संभाव्यता है या हो सकती है तो वह ऐसा कार्य आरम्भ करने के पूर्व-

(क) परिषद् से अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा; और

(ख) उस क्षेत्र को, जहां कार्य किया जाना है, पथ से अलग करने के लिए पर्याप्त घेरा या बाड़ लगवाएगा और ऐसे घेरे या बाड़ को उतने समय के लिए जितना कि परिषद् लोक सुरक्षा या सुविधा के लिए आवश्यक समझे परिषद् के समाधानप्रद रूप में खड़ा रखेगा और अच्छी दशा में बनाए रखेगा और रात्रि के दौरान उसे पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त रखेगा और परिषद् द्वारा निदेशित किए जाने पर उसे हटा देगा।

(2) जो कोई इस धारा के किन्हीं भी उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा और ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें ऐसे अपराध की दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उल्लंघन चालू रहे, दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**225. मरम्मत आदि के दौरान बाड़ लगाना और प्रकाश करना. -**

(2) जो कोई परिषद् के प्राधिकार या सम्मति के बिना उक्त किन्हीं भी छड़ों, जंजीरों या खम्भों को ढहाएगा, परिवर्तित करेगा या हटाएगा या ऐसे किसी प्रकाश को हटाएगा या बुझाएगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**226. अनुज्ञा के बिना पथ में काष्ठ आदि जमा नहीं किया जाएगा या गड्ढा नहीं किया जाएगा.** - (1) कोई भी व्यक्ति, परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा की शर्तों के अनुसार न होकर अन्यथा किसी पथ में कोई गड्ढा नहीं करेगा या किसी पथ पर काष्ठ, पत्थर, ईंटें, मिट्टी या अन्य सामग्री, जिसका भवन निर्माण में उपयोग किया गया है या जो उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है जमा नहीं करेगा। ऐसी अनुज्ञा परिषद् के स्वविवेक से समाप्त की जाने योग्य होगी और जब ऐसी अनुज्ञा किसी व्यक्ति को दी जाती है तो वह अपने स्वयं के व्यय से, ऐसी सामग्री या ऐसे गड्ढे पर परिषद् के समाधानप्रद रूप में उस समय तक के लिए पर्याप्त रूप से बाड़ लगवाएगा या उस पर घेरा लगवाएगा जब तक वे सामग्रियां हटा न ली जाएं या गढ्ढा भर न दिया या अन्यथा सुरक्षित न कर दिया जाए और वह ऐसी सामग्री या गढ्ढे को रात्रि के दौरान पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त रखवाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा

तथा ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसको कि ऐसे अपराध की दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहे, दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**228. वृक्षों की शाखाओं आदि को छांटने का प्रतिषेध.** - जो कोई परिषद् की अनुज्ञा के बिना, किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़े किसी भी वृक्ष या पौधे की शाखाओं या टहनियों को छांटेगा या काटेगा या ऐसे वृक्ष या पौधे के फल, फूल या पत्तियां तोड़ेगा या उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती भंग की दशा में 1 दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**231. अत्यन्त घने बसे क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा सकने वाली विशेष शक्तियां.-**

(1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि किसी क्षेत्र में के या तो किसी अधिभोगी को या उस क्षेत्र के आसपास के किसी निवासी को निम्नलिखित किन्हीं भी खराबियों के कारण रोग का खतरा उत्पन्न हो गया है, अर्थात् :-

(क) वह रीति जिसमें या तो भवन या भवनों के समूह जो उसमें पूर्व से ही विद्यमान हैं या परियोजित है, घने बसे हुए हैं या उनके घने बसने की संभाव्यता; या

(ख) किन्हीं भी ऐसे भवन या भवनों के समूहों की जो पूर्व से ही विद्यमान हैं या परियोजित हैं, सफाई करने की असाध्यता; या

(ग) यथापूर्वोक्त किन्हीं भी ऐसे भवनों या समूहों या क्षेत्रों में जल निकास या सफाई का अभाव या जल निकास या सफाई की व्यवस्था करने की कठिनाई; या

(घ) पथों या भवनों या भवनों की संकीर्णता, समीपता, दुर्व्यवस्था या दुर्दशा;

तो वह अधिसूचना द्वारा, उस परिषद् को, जिसके अध्यधीन ऐसा क्षेत्र है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से समस्त या कोई भी शक्ति प्रदत्त कर सकेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो किसी भी समय किन्हीं भी परिसीमाओं, निर्बन्धनों, उपान्तरणों शर्तों या विनियमों को विहित करते हुए नियम बना सकेगी जिनके अध्यधीन परिषद् उस क्षेत्र के भीतर इस प्रकार प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का तब तक प्रयोग करेगी जब तक वे शक्तियां राज्य सरकार की किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा प्रत्याहृत न कर ली जायें।

(2) वे शक्तियां, जिनमें से समस्त या कोई शक्ति परिषद् को उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त की जा सकेगी, निम्नानुसार हैं :

(क) जब कि पूर्व में ही विद्यमान या परिनिर्माण के अनुक्रम में किसी भवन या समूह में ऐसी किसी भी खराबी के कारण जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है पूर्वोक्त प्रकार का खतरा उद्भूत हो गया हो या परिषद् की राय में उससे ऐसा खतरा उद्भूत होने की संभाव्यता हो, ऐसी लिखित सूचना द्वारा, जो ऐसे भवन या समूह के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकायी जाएगी तथा जैसा परिषद् ठीक समझे, या तो उसके स्वामियों को या उस भूमि के, जिस पर कि ऐसा भवन या समूह परिनिर्मित किया गया है या परिनिर्माण के अनुक्रम में है, स्वामियों को सम्बोधित होगी, यह अपेक्षित करने की शक्ति कि इस प्रकार सम्बोधित व्यक्ति ऐसे युक्तियुक्त समय के. भीतर जैसा सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये या तो ऐसे भवन या समूह को गिरा दे या हटा दे या उसके संबंध में ऐसे कार्यों का निष्पादन

करे या ऐसी कार्यवाही करे जिसे रोग के ऐसे समस्त खतरे के निवारण के लिए परिषद् आवश्यक समझे ;

(ख) यदि उक्त सूचना में संबोधित व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा करने में उपेक्षा करे, तो परिषद् को या परिषद् द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को ऐसे भवन या खण्ड को गिराने या हटाने या यथापूर्वोक्त ऐसे कार्यों को निष्पादित करने या ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति;

(ग) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबन्धित रूप में अपील के अधिकार के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे किसी भी स्थल या स्थान के, जो इसमें पश्चात् वर्णित है, स्वामियों और अधिभोगियों को सम्बोधित लिखित सूचना द्वारा और धारा 294 की उपधारा (3) में उपबन्धित रीति में प्रकाशित साधारण सूचना द्वारा-

(एक) किसी ऐसे भवन के, जो इस धारा के उपबन्धों के अधीन पूर्णतः या भागतः गिरा दिया गया है, स्थल पर किसी भी भवन का परिनिर्माण या ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट आयामों से अधिक आयाम वाले किसी भवन का परिनिर्माण किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति; या

(दो) किसी भी ऐसे स्थान पर, जहां भवन नहीं है, चाहे ऐसा स्थान प्राइवेट सम्पत्ति है या नहीं है और चाहे वह घिरा हुआ है या नहीं है, किसी भी भवन का परिनिर्माण या ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट आयामों से अधिक आयाम वाले किसी भवन का परिनिर्माण किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति, यदि परिषद् का यह विचार है कि यथापूर्वोक्त खतरे को रोकने के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे स्थल या स्थान पर निर्माण नहीं किया जाना चाहिए; और यह कि यथापूर्वोक्त खतरे को रोकने के लिए या तो ऐसे स्थल या स्थान को अर्जित किया जाए या उसके ऐसे उपयोग के संबंध में, जो स्वामी या अधिभोगी कर सकता है या जिसके करने की वह अनुज्ञा दे सकता है, ऐसी शर्तें जैसी आवश्यक समझी जाएं, विहित की जाएं :

परन्तु प्रत्येक मामले में प्रतिकर का, जिसकी रकम, विवाद की दशा में धारा 303 में उपबन्धित रीति में अभिनिश्चित तथा अवधारित की जाएगी, संदाय किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जिसके अधिकार ऐसे प्रतिषेध द्वारा प्रभावित हुए हैं।

(4) राज्य सरकार, नियम द्वारा, ऐसा जुर्माना, जो परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए किए गए किसी भी आदेश या अधिरोपित की गई शर्तों के प्रत्येक भंग के लिए पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगा तथा ऐसा और जुर्माना जो चालू रहने वाले प्रत्येक भंग के लिए बीस रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा, विहित कर सकेगी।

**236. धूल आदि का जमा किया जाना न्यूसेंस करना होगा.-** (1) जो कोई ऐसे स्थानों, ऐसी रीति और समय से जो परिषद् द्वारा नियत किया जाए, भिन्न स्थान, रीति और समय पर किसी पथ पर या किसी पथ के नीचे की किसी गेहराब में या किसी पथ के किनारे की किसी नाली में या किसी खुले स्थान पर या किसी नदी, जल सरणी या नाले के किनारे पर धूल, मैला, पशु-विष्ठा, राख या ईंधन, रसोई या अस्तबल का कचरा या किसी भी प्रकार की गन्दगी या जीवजन्तुओं का अवशेष या टूटे शीशे या मिट्टी के बर्तन या अन्य कूड़ा कर्कट या कोई भी ऐसी चीज जो न्यूसेंस हो 1 या हो सकती हो, जमा करेगा या अपने कुटुम्ब या गृहस्थी के किसी सदस्य द्वारा जमा कराएगा या करने देगा या जो कोई यथापूर्वोक्त किसी ऐसे स्थान पर न्यूसेंस, करेगा या अपने कुटुम्ब या गृहस्थी के किसी

सदस्य से न्यूसेंस होने देगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई विष्ठा को छोड़कर ऐसे पदार्थों में से जो उपधारा (1) में वर्णित हैं किसी पदार्थ को या परिषद् की अनुज्ञा के सिवाय विष्ठा को किसी मलनाली, नाली, पुलिया, सुरंग, गन्दीनाली या जलसरणी में फेकेगा या डालेगा या अपने कुटुम्ब या गृहस्थी के किसी सदस्य से फिकवाएगा या डलवाएगा या उसे फेंकने देगा या डालने देगा और जो कोई ऐसी मलनाली, नाली, पुलिया सुरंग, गंदी नाली या जलसरणी में या उसके ठीक इतने निकट कि वह प्रदूषित हो जाए, न्यूसेंस करेगा या अपने कुटुम्ब या गृहस्थी के किसी सदस्य से न्यूसेंस होने देगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**239. मल आदि का निस्सारण.** - जो कोई अपने नियंत्रण के अधीन किसी भवन या भूमि से किसी हौदी या मलनाली के जल को या किसी अन्य द्रव्य या अन्य पदार्थ को, जो घृणोत्पादक है या जिसके घृणोत्पादक हो जाने की सम्भाव्यता है, किसी पथ पर या खुले स्थान पर बहाए, निकाले या फेंके या डाले या उसे बहने, निकलने, फेंकने या डालने के लिए अनुज्ञात करे या उसके जल को किसी बाहरी दीवाल में सोखे जाने दे या परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी मलनाली या सण्डास से किसी घृणोत्पादक पदार्थ को किसी पथ में की सतही नाली में बहाए, निकाले या फेंके या उसे बहाने, निकालने या फेंकने के लिए अनुज्ञात करे या जो ऐसी अनुज्ञा में विहित किसी शर्त का पालन करने में असफल रहे वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**240. गंदगी आदि का न हटाया जाना.** - जो कोई किसी भवन या भूमि का स्वामी होते हुए ऐसे भवन में या ऐसी भूमि पर चौबीस घन्टे से अधिक समय के लिए या किसी उचित आधान (रिसेप्टिकल) में के सिवाय से अन्यथा कोई मैला, पशु विष्ठा, हड्डियां, राख, विष्ठा, गंदगी या कोई भी अपायकर या घृणोत्पदक पदार्थ रखे या रखने के लिए अनुज्ञात करे या ऐसे आधान को गन्दी या अपायकर दशा में रहने दे या ऐसे आधान से गन्दगी हटाने और उसे साफ तथा शोधित करने के उचित साधनों को उपयोग में लाने में उपेक्षा करे या ऐसे भवन में या भूमि पर किसी भी जीवजन्तु को इस प्रकार रखे या रखने के लिए अनुज्ञात करे जिससे न्यूसेंस कारित होता है, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा अपराध चालू रहे, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**धारा 241. विष्ठा आदि का हटाया जाना.-** (1) परिषद् समय-समय पर, ऐसे घंटे नियत कर सकेगी, जिनके भीतर ही कोई विष्ठा या कोई घृणोत्पादक पदार्थ हटाना विधिपूर्ण होगा।

(2) जो कोई-

(क) जबकि परिषद् ने ऐसे घन्टे नियत कर दिए हैं और डोंडी पिटवाकर उसकी सार्वजनिक सूचना दे दी है, इस प्रकार नियत किए गए घण्टों को छोड़कर किसी भी समय किसी पथ से होकर कोई ऐसा घृणोत्पादक पदार्थ हटाएगा या हटवाएगा; या

(ख) किसी भी समय, चाहे परिषद् द्वारा ऐसे घण्टे नियत किए गए हों या नहीं--

(एक) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए किसी गाड़ी, वाहन आधान या पात्र का उपयोग करेगा जिस पर उसकी अन्तर्वस्तुओं को और उनकी दुर्गन्धि को निकलने से रोकने के लिए यथोचित आच्छादन न हो; या

(दो) उसे हटाने में किसी भी ऐसे घृणोत्पादक पदार्थ को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक गिराएगा या बिखेरेगा; या

(तीन) ऐसे प्रत्येक स्थान में, जिसमें कोई घृणोत्पादक पदार्थ गिर गया है या बिखर गया है, सावधानीपूर्वक झाड़ नहीं लगाएगा और सफाई नहीं करेगा; या

(चार) किसी ऐसे घृणोत्पादक पदार्थ से भरे हुए किसी पात्र को किसी भी सार्वजनिक स्थान में रखेगा या स्थापित करेगा; या

(पांच) किसी ऐसी गाड़ी या वाहन को अथवा किसी ऐसे आधान या पात्र को, जिसे यथापूर्वोक्त किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी ऐसे पथ से या किसी ऐसे रूट से, जिसे परिषद् ने सार्वजनिक सूचना द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए समय-समय पर नियत किया है, भिन्न किसी पथ से होकर या रूट से चलाएगा या चलवाएगा या ले जाएगा या ले जाने देगा;

वह जुर्माने से जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

**242. गन्दे भवन आदि.** - (1) जो कोई किसी ऐसे भवन या ऐसी भूमि का, भले ही वह किराए पर देने योग्य हो या नहीं स्वामी या अधिभोगी होते हुए उसे गंदी या अस्वास्थ्यकर अवस्था में रहने देगा या उसे ऐसी अवस्था में जिससे परिषद् की राय में पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूसेंस हो या उस पर नागफनी (प्रिकली- पियर) या उग्रगंध या दुर्गन्धयुक्त वनस्पति उगी हुई रहने देगा, और जो ऐसे भवन या भूमि की सफाई करने या ऐसी नागफनी या उग्रगंध या दुर्गन्धयुक्त वनस्पति को काटकर उस भवन या भूमि को सफाई करने या अन्यथा उपयुक्त दशा में रखने के लिए परिषद् द्वारा लिखित सूचना दिये जाने के पश्चात् भी युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी सूचना में अन्तर्विष्ट अपेक्षा को पूरा नहीं करेगा, वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको ऐसे अपराध की प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त सूचना के पालन में चूक करना जारी रहे, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**246. घृणोत्पादक खाद आदि का उपयोग करना.** - जो कोई परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना तथा ऐसी अनुज्ञा की शर्तों के अनुसार न होकर अन्यथा विष्ठा या अन्य खाद या ऐसे पदार्थ, जिनसे घृणोत्पादक गंध उत्सादित होती है, का संग्रह करेगा, या उपयोग करेगा, वह ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**250. जल का कलुषित किया जाना.** - जो कोई परिषद् के धारा 248 के अधीन किसी आदेश की या किन्हीं उपविधियों की अवज्ञा करके परिषद् की किसी सरिता, कुण्ड, तड़ाग, जलाशय, कुएं, हौज, नलिका या जलवाही सेतु में नहाएगा या उसके अन्दर किसी जीवजन्तु या किसी भी वस्तु को धोएगा या धुलवाएगा या किसी जीवजन्तु को या किसी अन्य वस्तु को उसमें फेंकेगा, रखेगा, डालेगा या प्रविष्ट कराएगा या किसी भी ऐसी वस्तु को, जो न्यूसेंस हो या हो सकती हो, उसमें बहाएगा, निकालेगा, या लाएगा या बहाने देगा, निकालने देगा या लाने देगा या कोई भी ऐसी बात करेगा जिससे उसमें का जल किसी अंश तक कलुषित या प्रदूषित हो जाए और जो कोई

परिषद् की अनुज्ञा के बिना नगरपालिका की सीमा के भीतर या उसकी सीमा पर स्थित किसी ऐसे तड़ाग, सरिता या खाई में किसी ऐसे जीवजन्तु, सागभाजी या खनिज पदार्थ को डुबोएगा जिससे ऐसे तड़ाग, सरिता या खाई के जल के घृणोत्पादक हो जाने या न्यूसेंस बन जाने की सम्भाव्यता है, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**253. सुअरों के रखने के संबंध में उपबंध.** - (1) यदि परिषद् को किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सुअरों का रखा जाना जनता के लिए न्यूसेंस या क्षोभकारक है, तो परिषद्, सार्वजनिक सूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा के निबन्धनों के अनुसार न होकर अन्यथा नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग में कोई सुअर नहीं रखेगा।

(2) जो कोई ऐसे निदेश के पश्चात् पूर्वोक्तानुसार अपेक्षित अनुज्ञा के बिना या उसके निबन्धनों के अनुसार न होकर अन्यथा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी स्थान में किन्हीं सुअरों को रखेगा, वह ऐसे जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**254. पशुओं को बांधा जाना आदि** जो कोई किसी सार्वजनिक पथ या स्थान पर किन्हीं पशुओं या अन्य जीव जन्तुओं को इस प्रकार बांधेगा या अपने कुटुम्ब या गृहस्थी के किसी सदस्य से उन्हें इस प्रकार बंधवाएगा या बांधे जाने देगा जिससे वहां के सार्वजनिक यातायात में बाधा हो जाए या ऐसा यातायात संकटापन्न हो जाए या उससे न्यूर्सेस कारित होता है या जो बिना रखवाले के ऐसे जीव जन्तुओं को आवारा भटकवाए या आवारा भटकने दें, वह दोषसिद्धि पर,

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा ;

(ख) किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा,

दण्डनीय होगा।

**255. धुआं समाप्त कर देना.** - (1) परिषद् के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह सार्वजनिक सूचना द्वारा यह निदेश दे कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यापार या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संकर्म या भवनों में काम में लाई गई भट्टी या, काम में लाई जाने वाली भट्टी, चाहे उसमें भाप से चलने वाला इंजिन उपयोग में या काम में लाया जाता है या नहीं लाया जाता है, समस्त दशाओं में इस प्रकार संनिर्मित, अनुपूरक उपाय करके वर्धित या परिवर्तित की जाएगी जिससे ऐसी भट्टी में से निकलने वाला धुआं यावत्साध्य समाप्त हो जाए या जल जाए या कम हो जाए।

(2) यदि कोई व्यक्ति, ऐसे निदेश के पश्चात् किसी ऐसी भट्टी का, जो इस प्रकार संनिर्मित, अनुपूरक उपाय करके वर्धित या परिवर्तित नहीं की गई है, उपयोग करेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा देगा या किसी ऐसी भट्टी का, इस प्रकार उपेक्षापूर्वक उपयोग करेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा देगा जिससे निकलने वाला धुआं, यथासाध्य प्रभावी तौर पर समाप्त न हो जाए या जल न जाए, तो ऐसा व्यक्ति, जो उक्त संकर्म या भवनों का स्वामी या अधिभोगी है या उनका प्रबंध करने के लिए ऐसे स्वामी या अधिभोगी द्वारा नियोजित उनका अभिकर्ता या अन्य

व्यक्ति है, ऐसे जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, तथा ऐसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात ऐसे लोकोमोटिव इंजनों पर लागू नहीं मानी जाएगी जो किसी रेल मार्ग पर यातायात के प्रयोजन के लिए या सड़कों की मरम्मत के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

**256. जीव जन्तुओं को गन्दगी खिलाना.** - जो कोई दुग्ध उद्योग प्रयोजन के लिए रखे गए जीवजन्तुओं को या मानव भोजन के लिए आशयित किसी जीवजन्तु को कूड़ा कचरा युक्त पदार्थ, अस्तबल का कचरा, गन्दगी या अन्य घृणोत्पादक पदार्थ खिलाएगा या ऐसा पदार्थ खिलाने की अनुज्ञा देगा या खाने देगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

**257. क्षोभ कारित करने वाला कोई खेल खेलना.** - जो कोई ऐसी रीति से पतंग उड़ाएगा या अग्न्यायुध चलाएगा या आतिशबाजी या हवाई कंडील जलाकर छोड़ेगा या खेल खेलेगा कि जिससे आसपास से गुजरने वालों को या वहां निवास करने वालों या काम करने वाले व्यक्तियों को खतरा या क्षोभ होता है या होने की सम्भाव्यता है या सम्पत्ति को क्षति होने की जोखिम है, वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**258. सार्वजनिक पथों आदि पर थूकने का प्रतिषेध.** - जो कोई नाली या थूकने के प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा रखे गए पात्र से भिन्न किसी स्थान पर थूकेगा, वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**260. मंडी के लिए अनुज्ञप्ति का दिया जाना.** - (1) परिषद् के लिए यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि नगरपालिका की मण्डी से भिन्न किसी स्थान का उपयोग जीव जन्तुओं, गोश्त, मछली, फल, शाक-भाजी या ऐसी अन्य वस्तुओं के, जिन्हें परिषद् विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, विक्रय के लिए उसके द्वारा दी गई ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसकी शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं। परिषद् स्वविवेकानुसार साधारणतया या अलग-अलग मामलों में समय-समय पर अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी, निलम्बित कर सकेगी, रोक सकेगी या प्रत्याहत कर सकेगी।

(2) जो कोई ऐसे निदेश के प्रतिकूल या यथापूर्वोक्त अपेक्षित अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसी अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन करते हुए या ऐसी अनुज्ञप्ति के निलंबन के दौरान या उसके प्रत्याहरण के पश्चात् किसी स्थान का उपयोग करता है या उपयोग करने की अनुज्ञा देता है, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(3) किसी स्थान के संबंध में उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मजिस्ट्रेट, मुख्य नगरपालिका प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आवेदन पर, किन्तु अन्यथा नहीं, ऐसे स्थान को बन्द करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का इस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा; और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी स्थान को बन्द कर देने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात् उसका इस प्रकार से उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, वह जुर्माने से, जो उस स्थान को बन्द करने के उस प्रकार आदेश हो चुकने के पश्चात् के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उस स्थान

का इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**262. मण्डी में वधशालाओं को खोलना, बन्द करना तथा किराए पर देना.** -

(2) जो कोई परिषद् की अनुज्ञा के बिना उक्त मण्डी में किसी वस्तु का विक्रय करेगा या विक्रय के लिए अभिदर्शित करेगा या उक्त वधशाला का उपयोग करेगा, वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**264. विक्रयार्थ जीवजन्तुओं का वध करने के लिए स्थान –**

(4) कोई भी व्यक्ति जो परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन नियत किए गए स्थान के अतिरिक्त नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर किसी जीवजन्तु का वध विक्रयार्थ करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित होगा।

**268. खाद्य तथा पेय की कतिपय वस्तुओं के विक्रय के लिए अनुज्ञापन तथा शर्तें.** - (1) कोई भी व्यक्ति परिषद् द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन तथा उसके अनुसार के सिवाय नगरपालिका के भीतर किसी स्थान पर निम्नलिखित वस्तुओं का न तो विक्रय करेगा और न ही उन्हें विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा या अभिदर्शित करेगा :-

(एक) मानव खाद्य के लिए आशयित कोई जीवजन्तु या कोई गोश्त या मछली ; या (दो) कोई दुग्ध या डेरी उत्पाद, मिठाई, फल, शाक-भाजी, पान (बीड़े के रूप में खाए जाने के लिए तैयार), बर्फ, आइसक्रीम, वातित जल (एरिएटेड वाटर्स), शर्बत या मद्यरहितपेय, फल का रस या नीरा, मिष्ठान और किसी भी प्रकार का तैयार खाद्य या पेय ।

(5) जो कोई पूर्वोक्तानुसार अपेक्षित अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसी किसी अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों के उल्लंघन में या ऐसी अनुज्ञप्ति के निलम्बन के दौरान या उसके प्रत्याहरण के पश्चात् किसी स्थान का उपयोग करेगा या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(6) किसी स्थान के संबंध में उपधारा (5) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित मजिस्ट्रेट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आवेदन पर, किन्तु अन्यथा नहीं, ऐसे स्थान को बन्द करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का उस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे स्थान को, बन्द कर देने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात् उसका इस प्रकार से उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, वह जुर्माने से, जो उस स्थान को, बन्द करने के उस प्रकार आदेश हो चुकने के पश्चात् के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह उसका इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**269. अस्वास्थ्यकर वस्तुओं के लिए तलाशी तथा उनका निरीक्षण.**

(1) परिषद् का अध्यक्ष, अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, शासन के कृषि (पशु चिकित्सा) विभाग का सहायक पशु चिकित्साधिकारी या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पार्षद

या अधिकारी-

(ए) सभी युक्तिसंगत समयों पर निरीक्षण के प्रयोजन के लिए किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और किसी पशु, शव, मांस, मुर्गी, शिकार, मांस मछली, फल, सब्जी, मक्का, रोटी, आटा, दूध, घी, मक्खन या मानव उपभोग या पेय या औषधि के लिए अभिप्रेत अन्य वस्तुओं का निरीक्षण कर सकेगा, चाहे वे बिक्री के प्रयोजन के लिए या बिक्री के लिए तैयार करने के लिए किसी स्थान पर प्रदर्शित या लाई गई हों, या बूचड़खाने के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा, और वहां मौजूद किसी भी वस्तु की जांच कर सकेगा; तथा

(बी) यदि यहां पहले वर्णित कोई पशु, शव या अन्य वस्तुएं रोगग्रस्त या अस्वस्थ या अस्वास्थ्यकर या मानव उपभोग या पेय या दवा के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होती हैं या उनमें इस तरह से मिलावट की गई है जिससे उनकी प्रभावकारिता कम हो जाती है या उनके प्रभाव में परिवर्तन होता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत कोई भी वस्तु जो नाशवान प्रकृति की है, राष्ट्रपति, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश के अधीन तुरन्त नष्ट की जा सकेगी। प्रत्येक पशु और प्रत्येक वस्तु जो नाशवान प्रकृति की नहीं है, यदि पूर्वोक्त रूप से अभिगृहीत की जाती है, तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा।

(3) यदि मजिस्ट्रेट को, पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसा पशु या वस्तु रोगग्रस्त या अस्वस्थ या अस्वास्थ्यकर है या मानव उपभोग, पेय या औषधि के लिए अनुपयुक्त है या उसमें इस प्रकार मिलावट की गई है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई है या उसकी क्रियाविधि बदल गई है, तो वह स्वामी या व्यक्ति जिसके कब्जे में वह वस्तु पाई गई है और जो उसका केवल उपनिहिती या वाहक नहीं है, यदि ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का XLV) की धारा 273 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और मजिस्ट्रेट ऐसे पशु या वस्तु को नष्ट कराएगा या उसका इस प्रकार निपटान करेगा कि उसे बिक्री के लिए रखा न जा सके या मानव उपभोग, पेय या औषधि के लिए उपयोग न किया जा सके।

**272. दुग्ध उद्योग का अनुज्ञापन.** - (1) कोई भी व्यक्ति व्यापार के प्रयोजनों के लिए, दुधारू पशुओं को रखने के लिए या दूध के भंडारण या बिक्री के लिए या मक्खन बनाने, भंडारण या बिक्री के लिए किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, सिवाय परिषद से प्राप्त लाइसेंस की शर्तों के अनुसार।

(3) जो कोई किसी स्थान को पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति पर या उसके वापस लिए जाने के पश्चात् या उसके निलंबन के दौरान किन्हीं शर्तों के बिना या उनके उल्लंघन में उपयोग करेगा या उपयोग किए जाने देगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, दस रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि प्राप्त हो जाने पर, मजिस्ट्रेट मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के आवेदन पर, किन्तु अन्यथा नहीं, ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा और तत्पश्चात् ऐसे स्थान का इस प्रकार उपयोग किए जाने को रोकने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा या अन्य कदम उठाएगा।

**278. उपेक्षा करने या इन्कार करने के लिए शास्ति.-** कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी जानकारी, जिसे धारा 279 या धारा 277 के अधीन देना उसका कर्त्तव्य है, देने में उपेक्षा करेगा या इन्कार करेगा वह ऐसे दण्ड के, जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दायित्वाधीन होगा।

**283. कतिपय व्यापारों का विनियमन.-**

(4) जो कोई अनुज्ञप्ति के बिना या अनुज्ञप्ति के निलम्बित रहने के दौरान या अनुज्ञप्ति के प्रत्याहत कर लिए जाने के पश्चात् किसी ऐसी नगरपालिका में जिनमें ऐसी उपविधियां तत्समय प्रवृत्त हैं, जो ऐसी शर्तें, जिन पर या जिनके अध्यधीन ऐसी परिस्थितियां, जिनमें, और ऐसे क्षेत्र या परिक्षेत्र, जिनके संबंध में ऐसे उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जा सकती हैं, उन्हें प्रदान करने से इंकार किया जा सकता है, उन्हें निलम्बित किया जा सकता है, या उन्हें प्रत्याहृत किया जा सकता है, विहित करती है, उपधारा (1) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए किसी स्थान का उपयोग करेगा, वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा तथा ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसा उपयोग चालू रहे, दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**285. वाष्प सीटी आदि के उपयोग का प्रतिषेध. –**

(3) जो कोई ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी किन्हीं भी शर्तों के उल्लंघन में या उसके प्रत्याहृत कर लिए जाने के पश्चात् पूर्वोक्त प्रकार की सीटी या तुरही का प्रयोग करेगा या काम में लाएगा, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

तक दाया नहीं होगा जब तक वह इस प्रयाजन के लिए पारपद् द्वारा उसका किए गए आवेदन पर, अपने भाड़े तथा उस व्यक्ति के नाम और पते कि जिसे भाड़ा देय है सत्य- सत्य बतलाने में उपेक्षा या इंकार न करे ; किन्तु यह साबित करने का भार ऐसे अधिभोगी पर होगा कि ऐसे अधिभोगी से मांग अधिक है जो ऐसी मांग किए जाने के समय उसके द्वारा शोध्य था या जो उसके पश्चात् प्रोद्भूत हो गया था :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी विशेष संविदा को प्रभावित करती हुई नहीं समझी जाएगी जो यथापूर्वोक्त ऐसे किन्हीं व्ययों के संबंध में किसी ऐसे अधिभोगी और स्वामी के बीच की गई है।

**290. अनाचार-गृहों तथा वेश्याओं पर नियंत्रण की शक्ति.-** (1) परिषद् विहित रीति में सूचना द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के किसी विनिर्दिष्ट भाग में-

(क) वेश्यागृहों का रखा जाना;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति का निवास करना, जो वेश्यावृत्ति करता है;

प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना की तारीख के पश्चात-

(क) प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर वेश्यागृह रखे या उसका प्रबंध करे या उसके प्रबंध संबंधी कार्य करे या उसके प्रबंध में सहायता पहुँचाता है;

(ख) प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी परिसर या उसके किसी भाग का, जिसका उपयोग वेश्यागृह के रूप में या आभ्यासिक वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, भाड़ेदार या पट्टेदार या अधिभोगी है. या

(ग) किसी परिसर का पट्टाकर्त्ता या भू-स्वामी या ऐसे पट्टाकर्त्ता या भूमि-स्वामी का अभिकर्ता होते हुए प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर, परिसर या उसका कोई भाग, यह जानते हुए कि ऐसे परिसर या उसका कोई भाग वेश्यागृह के रूप में आभ्यासिक वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं या लाया जाता है, भाड़े पर उठाता है या ऐसे परिसर को वेश्यागृह के रूप में आभ्यासिक वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए लगातार उपयोग में लाये जाने में जानबूझकर एक पक्षकार है; या

(घ) वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या होते हुए प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर निवास करती है;

दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और अपराध के चालू रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जमाने से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध चालू रहे, पचास रुपए से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

**291. वेश्यागृह.** - अध्यक्ष या नगरपालिका की सीमा के भीतर निवास करने वाले तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की शिकायत पर कि उक्त सीमाओं के भीतर कोई घर वेश्यागृह के रूप में या किसी भी प्रकार के उच्छृंखल व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है कि जिससे सामीप्य में रहने वाले व्यक्तियों को क्षोभ पहुँचता है या यह कि किसी छावनी के या शैक्षणिक अथवा पूर्त संस्था या छात्रावास के या किसी पूजा के स्थान के पड़ोस में कोई ऐसा घर वेश्यागृह के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो उस स्थान में, जहाँ ऐसा घर स्थित है, अधिकारिता रखने वाला कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उस घर के स्वामी या अधिभोगी को समन कर सकेगा और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा घर ऐसे उपयोग में लाया जाता है और यह कि वह पड़ोसियों के लिए क्षोभ या संताप का स्त्रोत है या यह कि वह किसी छावनी के या किसी शैक्षणिक या पूर्त संस्था या छात्रावास के या किसी पूजा के स्थान के पड़ोस में है ऐसे स्वामी या अधिभोगी को यह आदेश दे सकेगा कि वह उसका ऐसा उपयोग बन्द कर दे और यदि वह पाँच दिन के भीतर ऐसे आदेश का पालन करने में असफल रहेगा तो वह उस पर ऐसे आदेश के पश्चात् घर के इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

**296. ऐसे आदेशों और सूचनाओं की अवज्ञा करने के लिए दण्ड, जो किसी भी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय नहीं है.**- जो कोई इस अध्याय द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के अधीन परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से जारी की गई किसी लिखित सूचना के द्वारा दिए गए किसी भी विधिपूर्ण निदेश की अवज्ञा करे या उसका पालन करने में असफल रहे या उन शर्तों का पालन करने में असफल रहे जिनके अध्यधीन परिषद् द्वारा उसे प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई थी, यदि ऐसी अवज्ञा या चूक किसी भी अन्य धारा के अधीन

दण्डनीय अपराध नहीं है तो ऐसे जुर्माने से जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने में जो प्रत्येक दिन के लिए जिस पर प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त अवज्ञा या चूक चालू रहे, पाँच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगाः

परन्तु जब सूचना में ऐसा समय नियत कर दिया गया है, जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, और अधिनियम में इस निमित्त कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करेगा कि इस प्रकार नियत किया गया समय इस अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत युक्तियुक्त समय था या नहीं।

**297. सामान्य शास्ति.-** जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन परिषद् या उसके अधिकारियों में से किसी अधिकारी द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य या कार्य-लोप करे, और यदि ऐसा कार्य या कार्य लोप उक्त उपबन्ध या नियमों या उपविधियों के अधीन अपराध नहीं है, तो जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा तथा ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिस पर कि ऐसा कार्य या कार्य-लोप चालू रहे, पाँच रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

**300. यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करे तो कार्यवाहियां** - यदि किसी भवन या भूमि का अधिभोगी ऐसे भवन या भूमि के संबंध में इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उसके स्वामी को, ऐसे स्वामी द्वारा ऐसा कार्यान्वयन करने के अपने आशय की सूचना ऐसे अधिभोगी को दे दिया जाने के पश्चात, रोकता है, तो कोई भी मजिस्ट्रेट इस बात के साबित हो जाने पर और स्वामी के आवेदन करने पर अधिभोगी को लिखित में आदेश कर सकेगा, जिसमें ऐसे अधिभोगी से यह अपेक्षित किया जाएगा कि वह ऐसे स्वामी को ऐसे भवन या भूमि के संबंध में ऐसे समस्त कार्यों को निष्पादित करने दे जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, और यदि वह उचित समझे तो वह अधिभोगी को ऐसा आदेश भी देगा कि वह ऐसे आवेदन पत्र या आदेश से संबंधित खर्चों का संदाय स्वामी को करे और यदि ऐसे आदेश की तारीख से आठ दिन का अवसान हो जाने के पश्चात, ऐसा अधिभोगी ऐसे स्वामी को किसी भी ऐसे कार्य को निष्पादित करने देने से इंकार करते रहना चालू रखता है तो ऐसा अधिभोगी प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान वह ऐसा इंकार करता रहता है, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक स्वागी ऐसी इंकारी कें चालू रहने के दौरान ऐसी किन्हीं भी शास्तियों से उन्मोचित किया जाएगा जिनके लिए वह ऐसे कार्यों का निष्पादन न करने के कारण अन्यथा दायी होता।

**339-झ. उपभोक्ताओं के प्रति कॉलोनी निर्माता (कालोनाइजर) का दायित्व.** - (1) आवासीय कालोनी में, चाहे वह निर्मित हो चुकी हो, निर्माणाधीन हो अथवा निर्माण हेतु प्रस्तावित हो, भू-खण्ड/आवास सीधा अथवा किसी एजेंट के माध्यम से ऐसे एजेंट को चाहे जो संज्ञा दी गई हो, विक्रय हेतु विज्ञापित करने के पूर्व, प्रत्येक कालोनाईजर द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष उस ब्रोशर की प्रति प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें विक्रय हेतु प्रस्तावित भू-खण्ड/आवास/प्रकोष्ठ भवन का विवरण, विक्रय की शर्तें, भूमि पर कालोनाईजर का स्वामित्व, कालोनी हेतु आवश्यक विभिन्न अनुमति/अनुज्ञा प्राप्ति से संबंधित स्थिति तथा ऐसे अन्य संबंधित विवरण की

| | |
|---|---|
| | जानकारी होगी।<br>(2) उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन न करने पर कालोनाइजर जुर्माने का दायी होगा, जिसकी गणना प्रति दिवस दोष हेतु 1,000/- रु. की दर से की जाएगी, जो न्यूनतम 25,000/- रु. के अध्याधीन होगी।<br>(3) क्रेता से भुगतान प्राप्त करने के पूर्व चाहे वह सीधा प्राप्त कर रहा हो अथवा किसी एजेंट के माध्यम से, ऐसे एजेंट को चाहे जो भी संज्ञा दी गई हो, प्रत्येक कालोनाइजर क्रेता के साथ ऐसे प्ररूप में अनुबंध करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।<br>(4) उपधारा (3) की अपेक्षाओं का पालन करने पर कालोनाइजर जुर्माने का दायी होगा, जो रु. 25,000/- तक का हो सकेगा।<br>**356. नियमों के संबंध में साधारण उपबंध.-**<br>(5) किसी नियत को बनाने में राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि इसका भंग ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।<br>**357. उपविधियों के संबंध में साधारण उपबंध.-**<br>(5) किसी उपविधि को बनाने में परिषद् यह निर्देश दे सकेगी कि उसका भंग ऐसे जुर्माने से जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जहाँ भंग चालू रहने वाला हो तो ऐसे और जुर्माने से जो, प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें भंग का लगातार किया जाना साबित हो, पाँच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। |
| 8. | <u>छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956</u><br>**धारा 142. कर-निर्धारण के आशय के लिए सेवानियुक्ति .-** (1) निगम, यदि वह उचित समझे, धारा 138 में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार भूमियों तथा भवनों के वार्षिक मूल्य का निरूपण करने के लिए किसी व्यक्ति को सेवानियुक्त कर सकेगा।<br>(3) यदि कोई व्यक्ति किसी को इस धारा के अधीन उसकी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने में इच्छापूर्वक विलम्बित करेगा या बाधा डालेगा, तो ऐसे अर्थदण्ड का भागी होगा जो एक हजार रुपये से अधिक न हो।<br>**165. नगरपालिक के करारोपण के दायित्व के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य.-**<br>(1) आयुक्त द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत पदाधिकारी की मांग पर प्रत्येक व्यक्ति ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी कि इस बात का निश्चय करने के लिए आवश्यक हो कि क्या ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोड कर देने का भागी है, और यदि ऐसा है तो कितना; और प्रत्येक होटल या वासगृह (लॉजिंग हाउस) रखने वाला या आवासी क्लब का सेक्रेटरी भी पर्वोक्त रूप से मांग किए जाने पर ऐसे होटल, वासगृह या क्लब में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा।<br>(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसे जानकारी प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार आदेश दिए गए हों, ऐसा करने में परित्यक्ति करेगा या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो उसके ज्ञान में असत्य हो, तो वह ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय |

होगा, जो अनुसूची- दो के अनुसार होगा।

**166. स्वामी के नाम तथा पते के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत करने का अधिवासी का कर्त्तव्य** - यदि किसी भूमि या भवन का अधिवासी उचित कारण के बिना धारा 139 के अधीन निर्वाह किए गए सूचना-पत्र का पालन करने में प्रमाद या इन्कार करेगा अथवा ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो उसकी जानकारी में असत्य हो, वह ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा ।

**170. जहाँ आयात पर पथकर या उपकर वसूली योग्य हो अन्वेषण करने की शक्ति** - (1) यदि किसी वाहन या गाँठ को. जिसके आग घर पथकर या उपकर के वसूली योग्य होने का विश्वास किया जाय, नगर कौ नियत सीमाओं के भीतर लाने वाला या प्राप्त करने वाला कोई व्यकि इस संबंध में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या सेवक की माँग पर उस वाहन गाँठ में रखी हई वस्तुओं का यह निश्चय करने के आशय के लिए कि क्या उसमें ऐसी कोई वस्तु है जिसके संबंध में आयात पर पथ-कर या उप-कर वसुली योग्य है, उस पदाधिकारी या सेवक को निरीक्षण, तौल या अन्यथा परीक्षण करने की अनुज्ञा देने से इंकार करेगा या उस पदाधिकारी को कोई ऐसी सूचना संवहित करने से या उसे कोई बिल, बीजक या समान प्रकार की लिखतम प्रदर्शित करने से, जो कि उस वस्तु के संबंध में उसके आधिपत्य में हो, इंकार करेगा या निगम को धोखा देने के अभिप्राय से मिथ्या जानकारी संवहित करेगा अथवा कोई मिथ्या, जाली या छलपूर्ण बिल, बीजक या समान प्रकार की लिखतम प्रदर्शित करेगा तो वह ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो या तों अभिकर के जो कि वस्तुओं पर वसूली योग्य दस गुने तक हो या पचास रुपये तक, जो भी अधिक हो, हो सकता है ।

**171. पथकर या उपकर का भुगतान से करने से बचने के लिए शास्ति** - यदि निगम की सीमाओं में होकर निकलने वाले पशु या वस्तु आयात पर देय पथकर या उपकर के भुगतान के लिये दायी हो, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो निगम के साथ कपट करने के अभिप्राय से किन्हीं ऐसे पशुओं या वस्तुओं का प्रवेश करायेगा या उसे पक प्रोत्साहित करेगा या उक्त सीमाओं के भीतर स्वयं उनको लायेगा या लाने की चेष्टा करेगा जिन पर कि ऐसे प्रवेश पर देय पथकर या उपकर का भुगतान न किया गया हो और न प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अर्थ-दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो या तो आयात पर देय ऐसे पथकर या उपकर के मूल्य के मे दस गुने तक या पचास रुपये तक, जो भी अधिक हो, हो सकता है ।

**199. ऐसी शौचालयों आदि का हटाया जाना जो जलप्रदाय के किसी साधन के निकट हों.-** (1) आयुक्त, सूचना-पत्र द्वारा, किसी ऐसे स्वामी या अधिवासी को जिसकी भूमि पर किसी स्त्रोत, कुएँ, तड़ाग, जलाशय या अन्य ऐसे साधन से, जिससे जल सार्वजनिक उपयोग के लिए प्राप्त किया जाता हो या किया जा सकता हो, 100 फीट के भीतर कोई जल-निकास, शौच-गृह, शौचालय, मूत्रालय, शोषणगर्त, निराकरण कार्य, चहबच्चे या कूड़े अथवा मल के लिए अन्य पात्र उस समय विद्यमान हों, ऐसे सूचना-पत्र के निर्वाह से एक सप्ताह के भीतर उसको हटाने या बंद करने का आदेश दे सकेगा ।

(2) कोई भी जो, आयुक्त की अनुज्ञा के बिना, इस धारा के अधीन सूचना-पत्र जारी करने के पश्चात् एक सप्ताह से अधिक होने वाले काल के लिए किसी स्त्रोत, कुएँ, तड़ाग, जलाशय या अन्य ऐसे साधन से, जिससे जल

सार्वजनिक उपयोग के लिए प्राप्त किया जाता हो या किया जा सकता हो, 100 फीट के भीतर किसी जल-निकास, शौचगृह शौचालय, मूत्रालय, शोषणगर्त, निराकरण या चहबच्चे कार्य, या कूड़े अथवा मल के लिए अन्य पात्र का निर्माण करेगा या उन्हें रखेगा, ऐसे अर्थ दंड से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है और सूचना-पत्र दे दिए जाने की दशा में, ऐसे अर्थ-दंड से जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए पचास रुपये से अधिक न हो, जबकि उक्त अपराध, हटाए जाने के लिए दिए गए काल के समाप्त होने के पश्चात् चालू रहा हो, दंडनीय होगा ।

**200. गंदे पानी का निकाला जाना.** - कोई भी जो, आयुक्त की अनुज्ञा के बिना, किसी मोरी, चहबच्चे के मल-मूत्र या किसी अन्य उद्वेजक पदार्थ के किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर या किसी सिंचन-नहर या जल-निकास में, जो इस आशय के लिए पृथक् न रखा गया हो, बहवायेगा, निष्कासित करायेगा या रखवायेगा या जानबूझकर या प्रभावपूर्व बहने दो, निकासित करने देगा या रखने देगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा ।

**201. प्राधिकार के बिना जल निकायों का निर्माण या उनमें परिवर्तन करना.** - कोई भी, जो आयुक्त की अनुज्ञा के बिना किसी भी ऐसे जल निकास का निर्माण करेगा या करवायेगा या उसमें परिवर्तन करेगा गा करवायेगा, जो निगम में वेष्टित जल-निकायों में से किसी जल-निकास तक जाता हो, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो, पांच सौ रूपये तक हो सकता है अनुसूची-दो के अनुसार होगा।

**236. आयुक्त की अनुज्ञा के बिना मुख्य मार्गों से संयोजन न किया जाना.-**

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आयुक्त की अनुज्ञा के बिना निगम द्वारा निर्मित या उसके द्वारा रखे गये या उसमें वेष्टित किसी भी भूमिगत तार, तार, नल, फेरूल, जल-निकास या जल प्रवाह से किसी भी आशय के लिये कोई संयोजन या संवहन नहीं करेगा या कराएगा ।

(2) उपधारा (1) के निर्बन्धनों के उल्लंघन में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे अर्थ-दण्ड से दण्ड़ित होगा जो पांच सौ रूपये से अधिक का नहीं हो अनुसूची-दो के अनुसार होगा ।

**252. अनुमति प्राप्त उपान्तों के अतिरिक्त चल चित्रों तथा नाटकीय आयोजनों का निषेध.-** (1) ऐसे उपान्तों के अतिरिक्त जिनके लिए इस धारा के अधीन आयुक्त द्वारा अनुमति-पत्र प्रदान किया गया हो नगर की सीमाओं के भीतर चलचित्र प्रदर्शन यंत्र या अन्य प्रयोग यंत्र द्वारा कोई प्रदर्शन, जिसमें ज्वलनशील फिल्म का प्रयोग किया जाए, कोई सार्वजनिक नाटकीय आयोजन, सर्कस या मूक-प्रदर्शन नहीं किया जावेगा ।

(2) यदि इस धारा के आदेशों या इस धारा के अधीन प्रदान किए गए अनुमति-पत्र के किसी प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए चल-चित्र प्रदर्शन यंत्र या अन्य प्रयोग यंत्र का स्वामी ऐसे यंत्र का प्रयोग करे या प्रयोग करना अनुज्ञापित करे, या यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक नाटकीय आयोजन, सर्कस या मूक प्रदर्शन में भाग ले, या यदि किन्हीं उपान्तों का अधिवासी उन उपान्तों को उपयोग में लाया जाना अनुज्ञापित करे, तो वह ऐसे अर्थदण्ड का, जो दो हजार रुपये से अधिक न हो और निरंतर अपराध की दशा में ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें अपराध चालू रहा हो दो सौ रुपये के और अर्थदण्ड का भागी होगा, और उसका अनुमति-पत्र आयुक्त द्वारा निरस्त किए जाने योग्य होगा ।

**257. विक्रय के हेतु पशुओं का वध के लिए स्थान.-**

(5) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन निगम द्वारा नियत स्थान के अतिरिक्त नगर के भीतर किसी अन्य स्थान में विक्रय के लिए किसी पशु का वध करेगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकता है।

**258. मृत पशुओं का निराकरण.-** (1) जब कभी कोई ऐसा पशु, जो किसी व्यक्ति की देख रेख में हो, विक्रय के लिए या धार्मिक आशय के लिए वध किए जाने के अतिरिक्त अन्यथा मर जाए, तो ऐसा व्यक्ति 24 घंटे के भीतर या तो -

(अ) शव को ऐसे स्थान पर, जो मृत पशुओं के निराकरण के लिए निगम द्वारा नियत किया गया हो, या किसी ऐसे स्थान पर, जो नगर की सीमाओं से कम-से-कम एक मील दूर हो,ले जाएगा; या

(आ) आयुक्त को उसके मर जाने की सूचना देगा जो शव का निराकरण कराएगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो इस धारा की उपधारा (1) के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध हो, यदि वह इस प्रकार कार्य न करे, ऐसे अर्थ-दण्ड से दण्डित किया जाएगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है ।

**272. भयंकर रोग के अस्तित्व के संबंध में सूचना का दिया जाना.-**

कोई भी जो - (अ) चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा व्यवसाय को प्रकट रूप से एवं नियमित रूप से करने वाला व्यक्ति होने के कारण और ऐसे व्यवसाय के क्रम में सार्वजनिक चिकित्सालय के अतिरिक्त किसी निवास-स्थान में किसी भयंकर रोग के अस्तित्व से भिज्ञ होने के कारण, या

(आ) ऐसे निवास स्थान का स्वामी या अधिवासी होने के कारण, और उसमें किसी ऐसे रोग के अस्तित्व से भिज्ञ होने के कारण, या

(इ) ऐसे निवास-स्थान में किसी ऐसे रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखरेख या परिचर्या करने वाला व्यक्ति होने के कारण और उसमें उस रोग के अस्तित्व से भिज्ञ होने के कारण;

तुरन्त जानकारी न दे, या स्वास्थ्य पदाधिकारी को या किसी अन्य पदाधिकारी को, जिसे निगम ऐसे रोग के अस्तित्व के संबंध में जानकारी देने के लिए आदेशित करे, जानबूझकर मिथ्या जानकारी दे ऐसे अर्थदंड से दण्डनीय होगा, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकता है ।

**290. शवों को हटाए जाने का मार्ग.-**

(2) कोई भी जो किसी शव को आयुक्त द्वारा निषेधित मार्ग से या ऐसी रीति में, जिससे जनता के उद्विजत होने की संभावना हो, ले जावेगा ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो दस रुपये तक का हो सकता है ।

**292-झ. उपभोक्ताओं के प्रति कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) का दायित्त्व.-** (1) आवारीय कालोनी में, चाहे वह निर्मित हो चुकी हो, निर्माणाधीन हो अथवा निर्माण हेतु प्रस्तावित हो, भू-खण्ड/आवास सीधा अथवा किसी एजेंट के माध्यम से, ऐसे एजेंट को चाहे जो संज्ञा दी गई हो, विक्रय हेतु विज्ञाप्ति करने के पूर्व, प्रत्येक कालोनाईजर द्वारा आयुक्त के समक्ष उस ब्रोशर की प्रति प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें विक्रय हेतु प्रस्तावित भू-खंड/आवास/प्रकोष्ठ भवन का विवरण, विक्रय की शर्तें, भूमि पर कालोनाईजर का स्वामित्व, कालोनी हेतु

आवश्यक विभिन्न अनुमति/अनुज्ञा प्राप्ति से संबंधित स्थिति तथा ऐसे अन्य संबंधित विवरण की जानकारी होगी।

(2) उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन न करने पर कालोनाईजर जुर्माने का दायी होगा, जिसकी गणना प्रति दिवस दोष हेतु 1,000/- रु. की दर से की जाएगी, जो न्यूनतम 25,000/- रुपये के अध्यधीन होगी।

(3) क्रेता से भुगतान की राशि प्राप्त करने के पूर्व, राशि चाहे वह प्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त कर रहा हो अथवा किसी एजेंट के माध्यम से, ऐसे एजेंट को चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, प्रत्येक कालोनी निर्माता (कालोनाईजर), क्रेता के साथ ऐसे प्ररूप में अनुबंध निष्पादित करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(4) उपधारा (3) की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल होने पर, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर), जुर्माने के लिए दायी होगा, जो न्यूनतम 25,000/- रुपये तक का हो सकेगा।

**302. ऐसे भवन निर्माण कार्य को, जो आगे रूप से प्रारंभ किया गया हो, या चालू हो, किसी चलाने भी से रोकने की आयुक्त की शक्ति.-** (1) ऐसी दशा में जिसमें भवन का निर्माण अवैध रूप से प्रारंभ किया गया होया चाहू हो,जैसा कि धारा 307 में वर्णित है, आयुक्त लिखित सूचना- पत्र द्वारा यह आदेशित कर सकेगा कि ऐसे सूचनापत्र के निर्वाह के दिनांक से भवन निर्माण कार्य बंद कर दिया जाए।

(2) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे सूचनापत्रों के निर्बन्धनों का पालन नहीं करेगा, ऐसे अर्थ दण्ड से दंडनीय होगा, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और यदि वह, उसके ऐसा न करने का प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे सूचनापत्र के निर्बन्धनों का पालन नहीं करेगा तो ऐसे और अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराध चालू रहे दो सौ रुपये तक हो सकता है।

**332. पेड़ों के काटे जाने, भवन के निर्माण या आदेशित गिराए जाने आदि के समय सड़कों का सुरक्षण करने की शक्ति.-** (1) कोई भी व्यक्ति आयुक्त की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना किसीभी पेड़ को या किसी भी पेड़ की शाखा को नहीं काटेगा या किसी भवन या भवन के भाग का निर्माण नहीं करेगा या उसको नहीं गिराएगा या किसी भवन के बाहरी भाग में परिवर्तन या उसकी मरम्मत नहीं करेगा, जहाँ ऐसा कार्य इस प्रकार का हो जिससे सड़क का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधा, भय या उद्देजन पहुँचे या जो बाधा, भय या उद्देजन पहुंचने की जोखिम उत्पन्न करे।

(4) कोई भी, जो उपधारा (1) के आदेशों का उल्लंघन करेगा या उपधारा (2) के अधिसूचना-पत्र के निर्बन्धनों का पालन करने में परित्यक्ति करेगा ऐसे अर्थ-दण्ड से जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है और निरंतर उल्लंघन या परित्यक्ति की दशा में ऐसे और अर्थ दण्ड से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन या परित्यक्ति चालूरहे, अनुसूची-दो के अनुसार होगा दण्डनीय होगा।

**334. दिशासूचक स्तम्भों, दीप-स्तम्भों.-** आदि का नष्ट किया जाना- कोई भी, जो आयुक्त द्वारा प्राधिकृत हुए बिना, किसी भी नगरपालिक दिशासूचक स्तम्भ, दीपस्तम्भ या दीप या निगम की किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करेगा या उसके साथ छेड़छाड़ करेगा या उसे क्षति पहुँचायेगा या किसी भी सार्वजनिक स्थान में किसी भी नगरपालिक प्रकाश को बुझाएगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है ।

**335. अनुज्ञा क बिना पर्चों का चिपकाया जाना.-** (1) कोई भी, स्वामी याअधिवासी या उस समय किसी

सम्पत्ति की देख-रेख रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना कोई भित्त-पत्र, पर्चा, सूचना-पत्र, भितिचित्र या अन्य कागज या विज्ञापन का साधन किसी सड़क, भवन, दीवार, पेड़, तख्ते, अहाते या घेरे के सहारे या उस पर लगाएगा अथवा लगवाएगा अथवा 3. किसी भी ऐसे भवन, दीवार, पेड़ तख्ते, अहाते या घेरे घर खड़िया या रंग से या किसी भी अन्य रीति से लिखेगा, या उसे गंदा, विरूपित या चिन्हित करेगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा ।

**336. अशिष्ट या अश्लील-चित्र या मुद्रित या लिखित विषय-वस्तु. -** (1) कोई भी जो किसी भी गृह, भवन, दीवार, जुड़े हुए तख्तों, फाटक, अहाते, स्तम्भ, खम्बे, तख्ते, वृक्ष, मार्ग या किसी अन्य वस्तु पर, जो भी हो, किसी भी ऐसे चित्र या मुद्रित या लिखित विषय-वस्तु को जो अशिष्ट या अश्लील प्रकार का हो, इस प्रकार चिपकाएगा, उत्कीर्ण करेगा, या स्टेन्सिल द्वारा छापेगा जिससे वह सड़क, राज-पथ या पगडंडी में होने वाले या उस पर चलने वाल व्यक्ति को दिखाई दे तथा जो उसे किसी भी सार्वजनिक शौचालय या मूत्रालय पर चिपकाएगा या उत्कीर्ण करेगा या स्टेन्सिल द्वारा छापेगा या किन्हीं भी निवासियों या किसी सड़क, राजपथ या पगडंडी में होने वाले या उस पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को देगा या देने का प्रयत्न करेगा या प्रदर्शित करेगा या किसी भी चित्र या मुद्रित या लिखित विषय-वस्तु को, जो अशिष्ट या अश्लील प्रकार की हो, किसी गृह के क्षेत्र में फेंकेगा या किसी गृह या दुकान की खिड़की में इस प्रकार प्रदर्शित करेगा कि वह जन-साधारण को दिखाई दे, दोष-सिद्धि पर ऐसे कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है या ऐसे अर्थ दण्ड से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

(2) कोई भी जो उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी ऐसे चित्रों या मुद्रित या लिखित विषय वस्तु को इस अभिप्राय से किसी भी अन्य व्यक्ति को देगा या सौपेगा कि वह या उनमें से एक या अधिक उसमें उल्लिखित रूप में चिपकाए जावें, उत्कीर्ण किए जाएँ, स्टेन्सिल द्वारा छापे जाएँ, या प्रदर्शित किए जाएँ, दोष-सिद्धि पर ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है, या ऐसे अर्थ दण्ड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

**340. पशुओं का बांधा जाना या बैलगाड़ियों का इकट्ठा किया जाना. -**

(1)तत्कालीन प्रभावशील किसी अन्य अधिनियम के आदेशों के पालन के साथ, कोई भी जो आयुक्त की अनुज्ञा के बिना किसी सड़क पर पशुओं को बांधेगा या बेलगाड़ियों को इकट्ठा करेगा या किसी भी सड़क को किसी भी प्रकार की गाड़ियों या पशुओं के लिए अड्डे के रूप में या पड़ाव के रूप में उपयोग में लाएगा या पशुओं को खुला छोड़ेगा या खुला छूटा रहने देगा, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है ।

**341. समुचित प्रकाश के बिना गाड़ियों का हांका जाना.-** कोई भी जो किसी ऐसी गाड़ी को जिसमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था न हो किसी भी सड़क पर सूर्यास्त होने के आधे घण्टे के पश्चात् से लेकर सूर्योदय होने के आधे घंटे के पूर्व तक के काल में हांकेगा या चलाएगा, ऐसे अर्थदण्ड से जो पचास रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

**342. ढोल आदि बजाना.-** (1) आयुक्त, व्यापंक या विशेष आज्ञा द्वारा किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या सड़क में व्यापकतः

या निर्दिष्ट समय में ढोल, भोंपू या तुरही बजाने का या किसी अन्य वाद्य यंत्र को बजाने या उससे ध्वनि उत्पन्न करने या किसी बर्तन से कोलाहल उत्पन्न करने का निषेध कर सकेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि आयुक्त ऐसे कारणोंवश, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकेगा ।

(2) कोई भी जो आयुक्त द्वारा इस धारा के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा का उल्लंघन करेगा ऐसे अर्थ दण्ड से जो, 100 रुपये तक का हो सकता है किन्तु पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

**343. वाष्प सीटियों आदि का उपयोग.-** (1) कोई भी व्यक्ति किसी कारखाने या अन्य स्थान में आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना जिसे प्रदान करने में आयुक्त उन समयों को आयंत्रित करते हुए जब ऐसी सीटी या तुरही या अन्य साधन उपयोग में लाया जा सकेगा, ऐसे प्रतिबंध लगा सकेगा जैसे वह उचित समझे, मजदूरों या काम पर लगाये गये व्यक्तियों को बुलाने या उन्हें काम से इल विसर्जित करने के आशय के लिये कोई भी ऐसी नज सीटी या तुरही या ऐसी कोई भी अन्य यांत्रिक उम साधन जिससे उद्वेजक ध्वनि निकलती हो, उपयोग बी या प्रयोग में नहीं लायेगा और न कोई व्यक्ति ऐसे कारखाने या स्थान में किसी इंजन की निर्गम-नलिका से निकलने वाली ध्वनि को किसी राधन से बढ़ायेगा ।

(2) आयुक्त उपधारा (1) के अधीन दीगई किसी भी अनुज्ञा को एक मास का सूचना-पत्र देकर निरस्त कर सकेगा।

(3) कोई भी जो इस धारा के आदेशों के उल्लंघन में किसी सीटी, तुरही या अन्य साधन को उपयोग में या प्रयोग में लायेगा, ऐसे अर्थदण्ड से जो अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है और प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें अपराध जारी रहा हो ऐस और अर्थदण्ड से, जो पचास रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

**344. आग्नेय अस्त्रों का चलाया जाना.-** कोई भी जो ऐसी रीति में आग्नेय अस्त्र चलाएगा या आतिशबाजी, धमाके या विस्फोटक छोड़ेगा अथवा किसी भी क्रीड़ा में ऐसी रीति में व्यस्त होगा जिससे पास में आने-जाने वाले या रहने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों को भय लगे या उद्वेजन हो या भय लगने या उद्वेजन होने की संभावना हो या संपत्ति को हानि पहुंचने की जोखिम हो, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा।

**345. खदान खनन, सुरंग लगाना, इमारती लकड़ी काटना या भवन निर्माण.-** कोई भी जो ऐसी रीति में खदान खनन करेगा, सुरंग लगायेगा, इमारती लकड़ी काटेगा या भवन निर्माण कार्य करेगा या जिससे पास में आने-जाने वाले या रहने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों को भय लगे या भय लगने की संभावना हो. ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा ।

**346. सार्वजनिक स्थलों पर खड़े हुए वृक्ष या पौधे की शाखाओं आदि का छाँटा जाना** - कोई भी आयुक्त की अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक स्थान पर खड़े हुए किसी भी वृक्ष या पौधे की शाखाओं या टहनियों को छांटेगा या काटेगा या ऐसे वृक्ष या पौधे के फल-फूलों या पत्तियों को तोड़ेगा अथवा उनको किसी भी प्रकार की क्षति

पहुँचाएगा, ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में दो हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

**346-अ. नाली या पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में थूकना-** कोई भी जो ऐसी नाली या पात्र, जिसकी कि इस आशय के लिए निगम द्वारा व्यवस्था की गई हो, के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में थूकेगा, ऐसे अर्थदण्ड से, जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा, दण्डनीय होगा।

**धारा 356. कुत्तों को घूमने फिरने देना. -** कोई भी जो किसी कुत्ते का स्वामी या उसकी देखरेख करने वाला व्यक्ति हो, बिना मुख-बन्धनी के उसे किसी सड़क पर घूमने फिरने देगा -

(अ) यदि ऐसे कुत्ते द्वारा सड़क पर चलने वाले को उद्वेजित या भयभीत किए जाने की संभावना हो; या

(आ) यदि आयुक्त ने आलर्क के प्रसार के काल में उपविधियों द्वारा नियत रीति में सूचना-पत्र द्वारा यह निर्देश दिया हो कि कुत्ते बिना मुख-बन्धनी के नहीं घूमेगे;

ऐसे अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा ।

**357. हाथियों आदि का नियंत्रण -** कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी हाथी, ऊंट या रीछ की देखरेख रखता हो, किसी घोड़े के, जिस पर सवारी हो, या जो जुता हुआ हो, या बैलों द्वारा खींचे जाने वाले किसी वाहन के आगमन पर अपने हाथी, ऊंट या रीछ की यथासंभव सुरक्षित दूरी पर ऐसा करने के लिए निवेदन किए जाने पर हटाने में परित्यक्ति करेगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा ।

**358. घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ना -** कोई भी जो इच्छापूर्वक या प्रमादपूर्वक किसी घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ेगा, जिससे किसी व्यक्ति को चोट, संकट, भय या उद्वेजना या संपत्ति को क्षति पहुंचे या प्रमादपूर्वक किसी घोड़े या अन्य पशु द्वारा किसी व्यक्ति को चोट, संकट, भय या उद्वेजना या सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने देगा, ऐसे अर्थ-दंड से दंडनीय होगा जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा ।

**360. भिक्षा मांगना. -** (1) कोई भी जो निगम की सीमा के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में भिक्षा मांगेगा या भिक्षा देने के लिए उत्तेजित करने या बलात् भिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से किसी विरूपता, रोग या शारीरिक पीड़ा या किसी उद्वेजक फोड़े या घाव को खुला रखेगा या प्रदर्शित करेगा, ऐसे कारावास से जो तीन मास तक का हो सकता है, या ऐसे अर्थदंड से, जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा,या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) यदि न्यायालय यह पाए कि किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध किया है, तो वह, यदि उसके मत में वह व्यक्ति शारीरिक अशक्तता या दुर्बलता के कारण जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो या दरिद्रालय के सुपुर्द किए जाने के लिए अन्यथा योग्य व्यक्ति हो, दंडाज्ञा देने के स्थान पर, यह आज्ञा दे सकेगा कि उसे ऐसी अवधि के लिए या ऐसे प्रतिबंधों के पालन के अधीन जैसे कि इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों द्वारा नियत किए जाएँ, निगम द्वारा परिपोषित या शासन द्वारा मान्य दरिद्रालय को भेज दिया जाए:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसी कोई आज्ञा दरिद्रालय का कार्यभार रखने वाले व्यक्ति को आपत्तियाँ प्रस्तुत करने और यदि वह ऐसी वांछा करे, तो उसके समर्थन में सुने जाने का अवसर दिए बिना नहीं दी जावेगी।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन दरिद्रालय को भेजा गया व्यक्ति उससे निकल भागे या ऐसे प्रतिबंधों का उल्लंघन

करे जिनके पालन के अधीनं उसे दरिद्रालय को भेजा गया था, तो वह ऐसे कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या अर्थदंड से जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(4) यदि न्यायालय यह पाये कि वह व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध किया है नगर की सीमा के भीतर नहीं जन्मा था या उसने एक वर्ष से अधिक के लिए उसमें निरंतर निवास नहीं किया है, तो उपरोक्त उपधाराओं में उल्लिखित दंडाज्ञा या आज्ञा के स्थान पर यह उक्त व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे मार्ग या मार्गों से जो कि आज्ञा में बतलाए जाएँ, उक्त सीमा को छोड़ने और जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा के बिना वहाँ वापस न आने के लिए लिखित आज्ञा द्वारा निर्देश दे सकेगा। यदि उक्त व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर आज्ञा का पालन न करे तो न्यायालय उक्त व्यक्ति को ऐसी अनुरक्षक के अधीन जैसा कि वह निर्देश दे नगर की सीमा के बाहर हटवा सकेगा ।

(5) यदि उक्त व्यक्ति उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नगर की सीमाओं में लौटेगा, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या ऐसे अर्थ दंड से जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

**361. भिक्षावृत्ति करवाना** - कोई नी जो नगर की सीमाओं के भीतर भिक्षा मांगने के आशय के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करेगा तथा उसकी भिक्षा से होने वाली आय पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर रहेगा, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकता है या ऐसे अर्थ दंड से जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

**363. व्यभिचार गृह.-** आयुक्त की या नगर की सीमा के भीतर रहने वाले तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की इस आशय की शिकायत पर कि उक्त सीमाओं के भीतर कोई गृह व्यभिचार-गृह के रूप में या किसी भी प्रकार के उच्छृंखल व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है जिससे कि निकट में रहने वाले भद्र व्यक्तियों को उद्वेजन पहुंचवाता है या यह कि कोई भी ऐसा गृह छावनी के या शैक्षणिक अथवा पूर्त संस्था या छात्रावास के, या किसी पूजा-स्थान के पड़ोस में वेश्यालय के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो उस स्थान में जहाँ गृह स्थित हो, विचाराधिकार रखने वाला कोई भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट उस गृह के स्वामी अथवा अधिवासी का आह्वान कर सकेगा और यह तुष्टि हो जाने पर कि गृह इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है और यह पड़ोसियों के लिए उद्वेजन या कष्ट का उद्गम है, या यह कि वह किसी छावनी के या किसी शैक्षणिक अथवा पूर्त संस्था या छात्रावास के या किसी पूजा-स्थान के पड़ोस में है, स्वामी या अधिवासी को ऐसा उपयोग बंद करने की आज्ञा दे सकेगा और यदि वह पाँच दिन के भीतर ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उस पर ऐसा अर्थ-दंड आरोपित कर सकेगा, जो उसके पश्चात् गृह के इस प्रकार उपयोग में लाए जाने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए अनुसूची-दो के अनुसार होगा ।

**399. अधिनियम के प्रवर्तन का किसी अधिवासी द्वारा विरोध किये जाने पर कार्यवाहियाँ.-** यदि किसी भवन या भूमि का अधिवासी उसके स्वामी को स्वामी द्वारा ऐसे अधिवासी को उन्हें इस प्रकार कार्यान्वित करने के अपने अभिप्राय का सूचना-पत्र देने के पश्चात् ऐसे भवन या भूमि के संबंध में इस अधिनियम के किन्हीं भी

आदेशों को कार्यान्वित करने से रोके, तो मजिस्ट्रेट उसका प्रमाण प्राप्त होने पर तथा स्वामी के आवेदन-पत्र पर लिखित में ऐसी आज्ञा प्रदान कर सकेगा जिसमें ऐसे अधिवासी को ऐसे भवन या भूमि के संबंध में ऐसे समस्त निर्माण कार्यों का, जो इस अधिनियम के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों, निष्पादन करने के लिये स्वामी को अनुमति देने का आदेश दिया जावेगा, और यदि वह उचित समझे तो अधिवासी को ऐसे आवेदन-पत्र या आज्ञा से संबंधित लागतों का स्वामी को भुगतान करने की भी आज्ञा दे सकेगा, और यदि आज्ञा के दिनांक से आठ दिन की समाप्ति के पश्चात् ऐसा अधिवासी, ऐसे स्वामी को कोई ऐसा निर्माण कार्य निष्पादित करने की अनुमति देने से इंकार करता रहे तो ऐसा अधिवासी प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें वह इस प्रकार इंकार करता रहे, ऐसे अर्थदण्ड से दंडित होगा, जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा, और प्रत्येक ऐसा स्वामी इस प्रकार इंकार किये जाने तक, किन्हीं ऐसी शास्तियों से मुक्त होगा जिनके लिये वह ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन में उसके द्वारा की गई त्रुटि के कारण अन्यथा दायी हो गया होता ।

**428. उपविधियों के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ.-**

(1) धारा 427 के अधीन उप-विधि बनाते समय निगम इस बात की व्यवस्था कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन या उल्लंघन के लिए प्रोत्साहन-

(ए) ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा चालू रहने वाले भंग की दशा मेंऐसे जुर्माने से, जो प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि केपश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान भंगाचालू रहे, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा;या

(आ) ऐसे अर्थ दंड से, जो प्रत्येक ऐसे दिनके लिए, जिसको आयुक्त की ओर से उल्लंघन कोचालू न रखने की लिखित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उल्लंघन चालू रहे, अनुसूची-दो के अनुसार होगा, दण्डनीय होगा।

(2) ऐसे अर्थ दंड के बदले में या उसके अतिरिक्त, मजिस्ट्रेट, अपराधी को, जहाँ तक उसकी शक्ति में हो, दुष्कृत्य का परिमार्जन करने का आदेश दे सकेगा।

**434. कतिपय ऐसे अपराध जो अर्थदण्ड से दंडनीय है.-**

(1) कोई भी जो-

(अ) निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित के प्रथम स्तम्भ इस अधिनियम के किन्हींभी आदेशों या इसके अधीन बनाए गए नियम या उपविधियों) का उल्लंघन करेगा; या

(आ) किन्हीं भी उक्त आदेशों या नियम या उपविधियों) के अधीन उसे विधिवत किए गए किसी निर्देश या उससे विधिवत की गई किसी मांग का पालन नहीं करेगा; ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जोउक्त तालिका के तृतीय स्तम्भ में उल्लेखित धन तक हो सकता है।

(2) कोई भी जो उपधारा (1) के चरण (अ) या (आ) के अधीन किसी भी अपराध का सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात् ऐसा अपराध करता रहेगा, प्रथम दिन पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें वह ऐसा अपराध करना चालू रखे, ऐसे अर्थ दण्ड से दंडित होगा जो उक्त तालिका के चौथे स्तम्भ में उल्लिखित धन तक हो सकता है।

**435. कतिपय अपराधों के लिये दण्ड.-** कोई भी, जो धारा 229, 230, 285, 375, 411 या 412 के किन्हीं भी

आदेशों का या उनके अधीन दी गई किसी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, या उन आदेशों में से किसी के भी अधीन दिये गये किसी भी वैधानिक निर्देश या माँग का पालन न करेगा ऐसे कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है या ऐसे अर्थदण्ड से जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा या दोनों से दण्डित होगा ।

**437. बाधा पहुँचाने के लिये शास्ति.-** कोई भी व्यक्ति जो किसी निगम प्राधिकारी, या किसी निगम पदाधिकारी या सेवक या किसी निगम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने में इच्छापूर्वक बाधा पहुँचायेगा, ऐसे कारावास से जो एक मास तक का हो सकता है, या ऐसे अर्थदण्ड से जो अनुसूची-दो के अनुसार होगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

**438. निगम के साथ किसी अनुबन्ध आदि में अंश या हित अर्जित करने के लिये दण्ड.-** यदि कोई पार्षद, निगम पदाधिकारी या सेवक जानबूझकर स्वतः या किसी भागीदार या सेवा-नियोक्ता या सेवानियुक्त के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी अनुबन्ध या सेवा नियुक्ति में कोई ऐसा अंश या हित अर्जित करेगा, जो ऐसा अंश या हित न हो जो धारा 59 की उपधारा (3) के अधीन निगम की सेवा के लिए अनर्ह बनाये बिना निगम के किसी पदाधिकारी या सेवक के लिये अनुज्ञेय हो, तो वह ऐसे साधारण कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

**439. सेवा-नियुक्ति छोड़ने वाले आवश्यक पदाधिकारी या सेवक के लिये दण्ड.-** (1), कोई आवश्यक पदाधिकारी या सेवक जो धारा 64 या 65 के किन्हीं भी प्रतिबन्धों का उल्लंघन करेगा ऐसे कारावास से जो छः मास तक का हो सकता है, या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

**440. व्यापक शास्ति.-** कोई भी जो इस अधिनियम के किसी आदेश या उसके अधीन जारी किये गये नियम, उपविधि, प्रबन्ध-नियम, अनुमति पत्र, अनुज्ञा या सूचना-पत्र का उल्लंघन करेगा या ऐसे किसी आदेश के अधीन विधिपूर्वक की गई किसी माँग का पालन न करेगा और यदि ऐसे उल्लंघन या अपालन के लिये इस अधिनियम के किसी अन्य आदेश में किसी शास्ति की व्यवस्था न की गई हो, तो ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और यदि उल्लंघन या अपालन निरन्तर प्रकार का हो तो ऐसे अर्थदण्ड से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसको प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या अपालन चालू रहे, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगाः किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सूचना पत्र या माँग-पत्र में कोई समय निर्धारित किया गया हो, जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना हो और इस अधिनियम में कोई समय निर्दिष्ट न किया गया हो, तो यह निरूपित करना इस धारा के अधीन अपराध का विचार करने वाले मजिस्ट्रेट पर निर्भर होगा कि सूचना-पत्र या माँग-पत्र के पालन में आशयों के लिये इस प्रकार से निश्चित समय उचित था या नहीं ।

## अनूसची-दो

| धारा, उप-धारा या खण्ड | विषय वस्तु का संक्षिप्त उल्लेख | ऐसा अधिकतम अर्थदण्ड जो अधिरोपित किया जा सकेगा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| धारा 142 उपधारा (3) | निर्धारण कार्य में जानबूझकर विलंब करना या बाधा डालना. | एक हजार रुपये |
| धारा 165 उपधारा (2) | कर की देनदारी के संबंध में असत्य जानकारी देना या लोप करना. | पांच हजार रुपये |
| धारा 166 | स्वामी के संबंध में गलत जानकारी देना. | पांच हजार रुपये |
| धारा 200 | मलवहन आदि को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बहाना. | पांच सौ रुपये |
| धारा 201 | प्राधिकार के बिना जल निकासों का निर्माण या उनमें परिवर्तन. | पांच सौ रुपये |
| धारा 236उपधारा (2) | अनुज्ञा के बिना मुख्य केबल, पाइप, निकास आदि से संयोजन करना. | पांच सौ रुपये |
| धारा 257 उपधारा (5) | अप्राधिकृत स्थान में विक्रय हेतु पशु का वध करना. | दो हजार रुपये |
| धारा 258 उपधारा (4) | देख-रेख में पशु की मृत्यु की स्थिति में निष्क्रियता. | एक सौ रुपये |
| धारा 272 खण्ड (इ) | भयंकर रोग के संबंध में सूचना देने में विफलता. | पांच सौ रुपये |
| धारा 334 | दिशासूचक-स्तंभों, दीप-स्तंभों आदि का नष्ट किया जाना. | एक हजार रुपये |
| धारा 335 उपधारा (1) | अनुज्ञा के बिना पर्चों का चिपकाया जाना. | दो सौ रुपये |
| धारा 336 उपधारा (1) | अशिष्ट या अश्लील चित्र या गुदित या लिखित विषय-वस्तु. | एक हजार रुपये |
| धारा 336 उपधारा (2) | अशिष्ट या अश्लील चित्र प्रदर्शन हेतु सौंपना. | एक हजार रुपये |
| धारा 340 उपधारा (1) | अनुज्ञा के बिना पशुओं का बांधा जाना. | दो सौ रुपये |
| धारा 341 | समुचित प्रकाश के बिना वाहन चलाना | पचास रुपय |
| धारा 344 | आग्नेय-अस्त्रों का चलाया जाना. | एक हजार रुपये |

| | | |
|---|---|---|
| धारा 345 | खदान खनन, सुरंग लगाना, इमारती लकड़ी काटना या भवन निर्माण, | पांच सौ रुपये |
| धारा 346-अ | नाली या पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में थूकना. | दो सौ पचास रुपये |
| धारा 356 खण्ड (अ) | मुख-बंधनी के बिना कुत्तों को घूमने देना. | दो सौ रुपये |
| धारा 357 | हाथियों आदि का नियंत्रण नहीं करना. | दो सौ रुपये |
| धारा 358 | घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ना. | पांच सौ रुपये |
| धारा 360 उपधारा (1) | भिक्षा मांगना. | पांच सौ रुपये |
| धारा 360 उपधारा (3) | भिक्षा मांगना, | एक हजार रुपये |
| धारा 360 उपधारा (5) | भिक्षा मांगना. | एक हजार रुपये |
| धारा 361 | भिक्षावृत्ति करवाना. | एक हजार रुपये |
| धारा 363 | अवैध रूप से व्यभिचार गृह का संचालन. | पांच सौ रुपये |
| धारा 399 | अधिनियम के प्रवर्तन का अधिवासी द्वारा विरोध. | पांच सौ रुपये |
| धारा 428 उपधारा (1) खण्ड (आ) | उपविधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति. | एक सौ रुपये |
| धारा 435 | कतिपय अपराधों के लिए दण्ड. | पांच हजार रुपये |
| धारा 437 | शक्तियों के प्रयोग करने में बाधा पहुंचाने हेतु शास्ति. | पांच हजार रुपये |

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.